VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

सारांश

राजव्यवस्था 2025

AHMEDABAD BENGALURU BHOPAL CHANDIGARH DELHI GUWAHATI HYDERABAD JAIPUR JODHPUR LUCKNOW PRAYAGRAJ PUNE RANCHI

अभ्यास
मेन्स 2025

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा
(GS + निबंध + वैकल्पिक विषय)
मॉक टेस्ट (ऑफ़लाइन)

Scan to Know More and Register

पेपर	GS - I & II	GS - III & IV	निबंध	वैकल्पिक विषय I & II
तिथि	26 जुलाई	27 जुलाई	2 अगस्त	3 अगस्त

पंजीकरण करें: www.visionias.in/abhyaas

वैकल्पिक विषय: नृविज्ञान | भूगोल | हिंदी | इतिहास | गणित | दर्शनशास्त्र | भौतिकी | राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध | लोक प्रशासन | समाजशास्त्र

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR (MP) | DEHRADUN | DELHI - KAROL BAGH | DELHI - MUKHERJEE NAGAR | GHAZIABAD GORAKHPUR | GURUGRAM | GUWAHATI | HYDERABAD | INDORE | JABALPUR | JAIPUR | JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOLKATA | KOTA | LUCKNOW | MUMBAI | NAGPUR | NOIDA ORAI | PATNA | PRAYAGRAJ | PUNE | RAIPUR | RANCHI | ROHTAK | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VIJAYAWADA | VISAKHAPATNAM

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION | Digital Current Affairs 2.0

UPSC के लिए करेंट अफेयर्स की समग्र तैयारी हेतु एकमात्र समाधान

मुख्य विशेषताएं:

- विजन इंटेलिजेंस
- डेली न्यूज समरी
- क्विक नोट्स और हाइलाइट्स
- डेली प्रैक्टिस
- स्टूडेंट डैशबोर्ड
- संधान तक पहुंच की सुविधा

QR कोड स्कैन करें

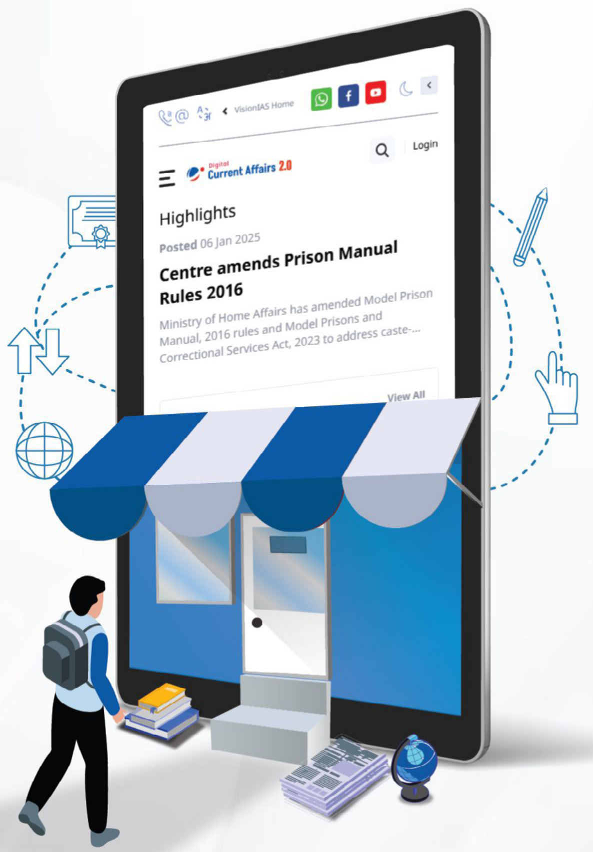

विषय सूची

1.1. भारतीय संविधान, प्रावधान और मूल संरचना (Indian Constitution, Provisions And Basic Structure)

1.1 जातिगत जनगणना (Caste Census) 6
1.2. अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण (Sub-Classification of Schedules Castes) 6
1.3. मूल अधिवास आधारित आरक्षण (Domicile-Based Reservation) 7
1.4. नागरिकता अधिनियम की धारा 6A (Section 6A of Citizenship Act) 7
1.5. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC) 8
1.6. शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers) 8
1.7. भारत में संपत्ति का अधिकार (Property Rights in India) 9
1.8. आंतरिक आपातकाल (Internal Emergency) 9
1.9. विभिन्न देशों के संविधान के साथ तुलना (COMPARISON OF CONSTITUTION) 10
1.9.1. संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम भारत: राष्ट्रपति चुनाव (USA vs India: Presidential Elections) 10
1.9.2. भारत और फ्रांस (India and France) 10

2. संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां (Issues And Challenges Pertaining To The Federal Structure)

2.1. राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग (States' Demand For Autonomy) 11
2.2. नए राज्यों की मांग (Demand For New States) 12
2.3. राज्य के विधेयकों को स्वीकृति (Assent to State Bills)

3. संसद और राज्य विधान-मंडल: संरचना और कार्यप्रणाली (Parliament And State Legislatures: Structure And Functioning)

3.1. संसद की कार्य उत्पादकता में गिराव (Decline In Parliamentary Productivity) 14
3.2. गठबंधन सरकार (Coalition Government) 14
3.3 दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) 15
3.4. लोक सभा का उपाध्यक्ष (Deputy Speaker Of The Lok Sabha) 15
3.5. विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (Representation Of Women In Legislature) 16
3.6. गैर-सरकारी विधेयक (Private Member Bill) 17

4. न्यायपालिका और अन्य अर्ध-न्यायिक निकायों की संरचना और कार्यप्रणाली (Structure And Functioning Of Judiciary And Other Quasi-Judicial Bodies)

4.1. आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) 18
4.1.1. आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम (Criminal Law Reform Acts) 18
4.1.2. निःशुल्क विधिक सहायता (FREE LEGAL AID) 19
4.2. जेल सुधार (Prison Reforms) 19
4.3. न्यायिक सुधार (Judicial Reforms) 20
4.3.1. न्यायिक जवाबदेही (JUDICIAL ACCOUNTABILITY) 20
4.3.2 न्यायिक रिक्तियां (Judicial Vacancies) 21
4.3.3 साक्षी संरक्षण योजना (WPS), 2018 {Witness Protection Scheme (WPS), 2018} 21
4.4. अनुच्छेद 142 (Article 142) 21
4.5. ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalayas) 22
4.6 भारत में अधिकरण प्रणाली (Tribunals in India) 22
4.7. न्यायपालिका और कानून लागू करने में AI की भूमिका (Role Of Ai In Judiciary And Law Enforcement) 23

5. भारत में चुनाव (Elections In India)

5.1 राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र (Internal Democracy in Political Parties) 24
5.2 फ्रीबीज/ मुफ्त सुविधाएं (Freebies) 24
5.3 भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India: ECI) 25
5.4 राज्य चुनाव आयोग (State Election Commissions: SECs) 26
5.5 परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) 26
5.6. चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI IN ELECTION CAMPAIGN) 27

6. गवर्नेंस (Governance)

6.1 मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) 28
6.2 शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) 28
6.3 सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री (Lateral Entry in Civil Services) 29
6.4 सुशासन में नागरिक भागीदारी (Citizen Participation in Good Governance) 30
6.5 गवर्नेंस और AI (Governance and AI) 31
6.6 बिग टेक कंपनियों का विनियमन (Regulating Big Tech) 31
6.7 नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality) 32
6.8 इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown) 32
6.9 ऑनलाइन गलत सूचना (Online misinformation) 33
6.10 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता (Obscenity on Digital Platforms) 33
6.11 पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण (Eco-centric Approach) 34
6.12 गैर-सरकारी संगठन (Non-Governmental Organizations: NGO) 34
6.13 भारत में विज्ञापन विनियमन (Advertisement Regulation in India) 35
6.14 ऑनलाइन बेटिंग और गैंबलिंग क्षेत्रक (Online Betting and Gambling Sectors) 36

7. स्थानीय शासन (Local Governance)

7.1 राज्यों में पंचायतों को अंतरण या हस्तांतरण की स्थिति 37

(Status of Devolution to Panchayats in States) 37

7.2 स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा (Auditing of Local Bodies) 37

7.3 जन योजना अभियान (Jan Yojana Abhiyan) 38

8. महत्वपूर्ण संवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी निकाय (Important Constitutional, Statutory And Executive BodieS)

8.1. नीति आयोग के 10 वर्ष (10 Years Of Niti Aayog) 40

8.2. लोकपाल और लोकायुक्त (Lokpal And Lokayukta) 40

8.3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau Of Investigation: CBI) 41

9. महत्वपूर्ण अधिनियम और विधान (Important Acts And Legislations)

9.1. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 {WAQF (Amendment) ACT, 2025} 42

9.2. उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 {Places Of Worship (Special ProvisionS) ACT, 1991} 42

10. विविध (Miscellaneous)

10.1. सहकारिता (Cooperatives) 44

10.2. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 {Right To Information (RTI) ACT, 2005} 45

10.3. अल्पसंख्यक संस्थान (Minority Institution) 46

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थियों,

- आपकी सहायता के लिए, हमने VisionIAS मेन्स 365 स्टडी मटेरियल से आवश्यक जानकारी का संकलन कर मेन्स 365 राजव्यवस्था डॉक्यूमेंट का सारांश तैयार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है VisionIAS मेन्स 365 स्टडी मटेरियल करेंट अफेयर्स के व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है।
- Mains 365 राजव्यवस्था डॉक्यूमेंट के सारांश में UPSC मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों का व्यापक अवलोकन प्रदान किया गया है। साथ ही, इन घटनाक्रमों के महत्व, संबंधित सरोकारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और आवश्यक संवैधानिक प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- यह डॉक्यूमेंट आपको प्रमुख टॉपिक को जल्दी और प्रभावी ढंग से रिवाइज करने में मदद करेगा।
- अपनी तैयारी में सुधार करने और UPSC मेन्स में अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए इन जानकारियों का उपयोग कीजिए।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज
(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

- UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ–साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक

अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

2026 | ENGLISH MEDIUM 27 JULY | हिन्दी माध्यम 27 जुलाई

1.1. भारतीय संविधान, प्रावधान और मूल संरचना (INDIAN CONSTITUTION, PROVISIONS AND BASIC STRUCTURE)

1.1 जातिगत जनगणना (Caste Census)

केंद्र अक्टूबर 2026 (लद्दाख) और मार्च 2027 (शेष भारत) से जाति-आधारित जनगणना शुरू करेगा।

मुख्य बिंदु

- **1931 के बाद पहली बार:** स्वतंत्रता के बाद पहली आधिकारिक जातिगत जानकारी (SC/ST से परे)।
- **राज्य सर्वेक्षण में विसंगतियां:** मानकीकरण और कानूनी समर्थन का अभाव (उदाहरण, बिहार, कर्नाटक)।

जातिगत जनगणना की आवश्यकता

- **संवैधानिक प्रावधान का पालन करने के लिए** (अनुच्छेद 340)
- **नीति निर्माण:** कल्याण, कोटा, आदि।
- **सकारात्मक उपाय:** आरक्षण की मांग (जैसे, जाट, मराठा)।
- **OBC का उप-वर्गीकरण**
- **एकरूप एवं मानकीकृत डेटाबेस**

चिंताएँ

- **डेटा त्रुटियाँ:** (उदाहरणार्थ, SECC 2011)
- **वर्गीकरण अंतराल:** जाति की पहचान राज्य के अनुसार भिन्न होती है।
- **राजनीतिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला:** अशांति फैल सकती है और जातिगत राजनीति और गहरी हो सकती है।
- **निजता से जुड़ी चिंताएं:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ डिजिटल व्यवस्थाओं साक्षरता कम है।

आगे की राह

- सटीक डेटा के लिए हितधारकों को शामिल करना चाहिए।
- फीडबैक के लिए राष्ट्रीय जाति सूची प्रकाशित करनी चाहिए।
- परिशुद्धता के लिए तकनीक का उपयोग और गणनाकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए।

निष्कर्ष

यदि जातिगत जनगणना पारदर्शी और समावेशी हो, तो यह आंकड़ों पर आधारित सामाजिक सुधार को समर्थन दे सकती है - जो अंबेडकर के सामाजिक समानता के आह्वान को प्रतिध्वनित करती है।

1.2. अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण (Sub-Classification of Schedules Castes)

पंजाब बनाम दविंदर सिंह (2024) मामले में , सुप्रीम कोर्ट (7 न्यायाधीशों की पीठ) ने फैसला सुनाया कि राज्य अधिक पिछड़े समूहों के बीच लाभों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।

निर्णय से मुख्य निष्कर्ष

- उप-वर्गीकरण वैध है यदि यह राष्ट्रपति की अनुसूचित जाति (SC) की सूची में परिवर्तन नहीं करता है {अनुच्छेद 341(2)}।
- **अनुच्छेद 14** के तहत केवल औपचारिक समानता ही नहीं, बल्कि **वास्तविक समानता** का लक्ष्य रखा गया है।
- अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के **आंकड़ों** द्वारा समर्थित होना चाहिए।
- राज्य किसी एक उप-समूह के लिए 100% अनुसूचित जाति की सीटें आरक्षित नहीं कर सकते।
- अनुसूचित जातियां समरूप नहीं हैं; पिछड़ापन भिन्न-भिन्न है।
- कुछ न्यायाधीशों ने SC/ST के लिए " **क्रीमी लेयर**" का सुझाव दिया, लेकिन यह बाध्यकारी निर्देश नहीं था।

उप-वर्गीकरण के पक्ष में तर्क

- सबसे अधिक हाशिये पर पड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।
- अंतर-SC विविधता को मान्यता देता है।
- अनुच्छेद 15(4), 16(4), 246 के तहत कानूनी रूप से अनुमति है।

विपक्ष में तर्क

- **SC एकता को खंडित** कर सकता है।
- आरक्षण **ऐतिहासिक अन्याय** के लिए क्षतिपूर्ति है, यह आर्थिक कल्याण के लिए नहीं है।
- आर्थिक प्रगति के बावजूद **कलंक कायम है।**
- **डेटा अंतराल** (जैसे, SECC 2011) निष्पक्ष वर्गीकरण में बाधा डाल सकता है।
- **राजनीतिक दुरुपयोग** का खतरा।

निष्कर्ष

निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को उप-वर्गीकरण को **स्पष्ट, डेटा-समर्थित मानदंडों पर आधारित करना चाहिए – न कि राजनीति या मान्यताओं पर।**

1.3. मूल अधिवास आधारित आरक्षण (Domicile-Based Reservation)

कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने **"कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024"** को मंजूरी दी।

पृष्ठभूमि

- **हरियाणा**, **आंध्र प्रदेश** आदि में पहले भी इसी तरह के कानून पारित किये जा चुके हैं।
- **हरियाणा के कानून को मौलिक अधिकारों का** उल्लंघन मानते हुए हाई कोर्ट ने **असंवैधानिक** घोषित कर दिया था।
- तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल (2025) में, सुप्रीम कोर्ट ने **अनुच्छेद 14** के तहत मूल अधिवास-आधारित PG मेडिकल सीट कोटा को **असंवैधानिक माना**।

राज्य निजी क्षेत्र में आरक्षण का समर्थन क्यों करते हैं?

- **इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय को** बढ़ावा देना और **क्षेत्रीय नौकरी असमानता को कम करना है।**
- **निजी क्षेत्रक को** सार्वजनिक समर्थन (कर में छूट, ऋण) मिलता है, जिससे स्थानीय उत्थान में सहायता मिलने की उम्मीद है।

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 16(2):** धर्म, जाति, जन्म स्थान या निवास के आधार पर सार्वजनिक नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं।
- **अनुच्छेद 16(3):** संसद किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास-आधारित नौकरी आरक्षण की अनुमति दे सकती है।

चिंताएँ

- **व्यावसायिक** परिचालन और निवेश में बाधा उत्पन्न होती है।
- **सन ऑफ़ सॉइल (भूमिपुत्र) मानसिकता को** बढ़ावा देता है।
- **अनुच्छेद 14, 16** और **19(1)(g) का** उल्लंघन करता है - समानता, नौकरी तक पहुंच और काम करने की स्वतंत्रता।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से, **निवास-आधारित कोटा को समान अवसर के संवैधानिक अधिकार को** कमजोर नहीं करना चाहिए।

1.4. नागरिकता अधिनियम की धारा 6A (Section 6A of Citizenship Act)

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम की 'धारा 6A' की वैधता को बरकरार रखा।

धारा 6A क्या है?

- "असम समझौते" के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1985 के जरिए शामिल किया गया था।
- यह विधेयक पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1966 और 24 मार्च, 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है।
- इसने 2013 में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने में मदद की।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु

- **संसद** धारा 6A (अनुच्छेद 246) को अधिनियमित करने के लिए सक्षम है।
- **अनुच्छेद 14 के तहत समानता का उल्लंघन नहीं करता है:** असम की स्थिति शेष भारत से एकदम अलग है।
- **अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन नहीं हुआ:** सांस्कृतिक नुकसान का कोई सबूत नहीं।
- **1971 कट-ऑफ उचित:** बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से जुड़ा हुआ।

प्रभाव

- **असम NRC के लिए समर्थन:** 1971 की कट-ऑफ तारीख के उपयोग को उचित ठहराता है।
- **NRC बहिष्करण:** 1.9 मिलियन लोग अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में हैं।
- **CAA 2019 से टकराव:** असम समझौते को कमजोर करने के रूप में देखा गया।
- **आर्थिक/सामाजिक तनाव:** 1971 से पूर्व के प्रवासियों को नागरिकता देने से संसाधनों पर बोझ बढ़ सकता है तथा तनाव बढ़ सकता है।

निष्कर्ष

यह फैसला असम की पहचान संबंधी चिंताओं को स्वीकार करते हुए संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखता है। भविष्य की कार्रवाइयों में न्याय, सुरक्षा और मानवीय संतुलन सुनिश्चित होना चाहिए।

1.5. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।

वर्तमान स्थिति

- अधिकांश भारतीय **धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं**।
- **गोवा** पुर्तगाली नागरिक संहिता के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का पालन करता है।
- **21वां विधि आयोग (2018):** समान नागरिक संहिता आवश्यक नहीं; इसके स्थान पर **लैंगिक न्यायोचित सुधारों का सुझाव दिया गया।**

UCC के पक्ष में तर्क

- **अनुच्छेद 44:** UCC कार्यान्वयन के लिए निर्देश।
- **समानता** और **आधुनिकीकरण को** बढ़ावा देता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों** के अनुरूप।
- कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और **एकसमान न्याय सुनिश्चित करता है**।

विपक्ष में तर्क

- **धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा** हो सकता है (अनुच्छेद 25)।
- **सामुदायिक सहमति का अभाव**, अशांति का खतरा।
- राज्य की शक्तियों को दरकिनार करके **संघवाद को कमजोर किया** जा सकता है।

UCC से संबंधित प्रमुख निर्णय

- **शाह बानो (1985):** मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता का समर्थन किया; समान नागरिक संहिता की मांग की।
- **सरला मुद्गल (1995)** और **लिली थॉमस (2000):** बहुविवाह के लिए धर्म परिवर्तन का विरोध किया; व्यक्तिगत कानून सुधार का आग्रह किया।
- **शायरा बानो (2017):** तत्काल तीन तलाक को मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया गया।

आगे की राह

- अंतर-धार्मिक संवाद के माध्यम से **आम सहमति** बनानी चाहिए।
- **सामाजिक प्रभाव** का आकलन करना चाहिए, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों पर।
- **जागरूकता** और कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए।
- समानता सुनिश्चित करने के लिए **व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करना चाहिए।**

निष्कर्ष

UCC का लक्ष्य **निष्पक्षता होना चाहिए, एकरूपता नहीं, तथा यह संवाद और समावेशिता** पर आधारित होना चाहिए तथा भारत की बहुलतावाद का सम्मान करना चाहिए।

1.6. शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)

उपराष्ट्रपति ने संस्थागत अतिक्रमण को रोकने के लिए **विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण की आवश्यकता पर बल** दिया।

भारत में

- भारतीय संविधान में **जांच और संतुलन** के साथ **सीमित पृथक्करण का प्रावधान है** (अनुच्छेद 50)
  - **मूल संरचना** का भाग घोषित किया गया।
- **ओवरलैप मौजूद हैं:**
  - राष्ट्रपति (कार्यपालिका) **अध्यादेश जारी कर सकता है** (विधायी भूमिका)।
  - विधायिका न्यायाधीशों को हटाती है (न्यायिक कार्य)।
  - न्यायपालिका दिशानिर्देश जारी करती है (कार्यकारी/विधायी भूमिका), जैसे, विशाखा दिशा-निर्देश।

संस्थागत संघर्ष

- **न्यायपालिका:** राष्ट्रपति को राज्य विधेयकों पर 3 महीने के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
- **विधानमंडल:** NJAC अधिनियम पारित किया गया, जिसे बाद में न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया गया।
- **कार्यपालिका: अध्यादेशों का अति प्रयोग** और **न्यायाधिकरणों पर नियंत्रण**।

निष्कर्ष

यद्यपि ओवरलैप्स मौजूद हैं, लेकिन पारस्परिक **जांच और संतुलन के साथ एक व्यापक पृथक्करण लोकतांत्रिक शासन को** बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

1.7. भारत में संपत्ति का अधिकार (Property Rights in India)

प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024) मामले में, **सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की राज्य की शक्तियों को सीमित** किया गया है।

फैसले की मुख्य बातें

- **निजी संपत्ति** को अनुच्छेद 39(b) के तहत स्वतः **"समुदाय के भौतिक संसाधन"** के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
- **राज्य का संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार** (सातवीं अनुसूची में सूची III की प्रविष्टि 42) से आती है, न कि DPSPs से।
- **अनुच्छेद 31C** (कुछ कानूनों को FR चुनौतियों से बचाना) अभी भी वैध है (केशवानंद भारती वाद)।
- संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए **सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को** लागू किया गया।
- **सार्वजनिक भलाई को निजी स्वामित्व (अनुच्छेद 300 A)** और **समानता (अनुच्छेद 14)** के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

प्रभाव

- **भूमि कानून**, **आर्थिक नीति** और **न्यायिक निरीक्षण पर** प्रभाव पड़ सकता है।
- **बाजार-संचालित सुधारों** और **निजी संपत्ति के संरक्षण** की ओर संकेत बढ़ रहे हैं।

निष्कर्ष

यह निर्णय **संपत्ति के अधिकारों की पुष्टि करता है** और राज्य के अतिक्रमण को सीमित करता है, तथा संपत्ति अधिग्रहण के लिए सावधानीपूर्वक, अधिकार-आधारित विश्लेषण की आवश्यकता बताता है।

1.8. आंतरिक आपातकाल (Internal Emergency)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **1975 के आंतरिक आपातकाल** (25 जून, 1975 - 21 मार्च, 1977) के **50 वर्ष पूरे होने का स्मरण किया।**

आपातकाल के बारे में

- **लोकतांत्रिक अधिकारों का निलंबन; केंद्र ने राज्यों पर नियंत्रण कर लिया।**
- इसका उद्देश्य **संप्रभुता, एकता, अखंडता और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना है**।

1975 के आपातकाल के कारण

- **आर्थिक संकट:** मुद्रास्फीति 23% (1973) और 30% (1974)।
- **राजनीतिक आंदोलन:** गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन।
- **न्यायिक तनाव:** कार्यपालिका-न्यायपालिका टकराव (जैसे न्यायमूर्ति ए.एन. रे की नियुक्ति)।

प्रभाव और आलोचना

- **राजनीतिक:**
  - **मौलिक अधिकारों** का निलंबन, प्रेस पर सेंसरशिप।
  - **विपक्ष को जेल भेजा गया**; लोक सभा का कार्यकाल बढ़ाया गया (42वां संशोधन)।
  - सत्ता PMO में केन्द्रीकृत।
- **सामाजिक:**
  - **जबरन नसबंदी**, झुग्गी बस्तियों का विध्वंस।
  - RSS और **जमात-ए-इस्लामी** जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाना।
- **संस्थागत:**
  - **न्यायिक समीक्षा पर अंकुश लगाया गया**, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हुई।
  - लोकतंत्र में जनता का विश्वास खत्म हो गया।

आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तन

- **आपातकाल के लिए कैबिनेट की लिखित सलाह की** आवश्यकता है।
- आंतरिक (राष्ट्रीय) आपातकाल की घोषणा के आधार के रूप में "आंतरिक अशांति" शब्दावली का स्थान **सशस्त्र विद्रोह ने ले लिया**।
- आपातकाल के दौरान भी **अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहेंगे।**
- **लोक सभा का कार्यकाल पुनः** 5 वर्ष कर दिया गया।
- राज्यों में सेना तैनात करने की संघ की शक्ति में कटौती।

निष्कर्ष

1975 का आपातकाल कार्यपालिका के अतिक्रमण के विरुद्ध एक चेतावनी है। लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए सतर्क नागरिक और मज़बूत **संस्थागत सुरक्षा उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।**

1.9. विभिन्न देशों के संविधान के साथ तुलना (COMPARISON OF CONSTITUTION)

1.9.1. संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम भारत: राष्ट्रपति चुनाव (USA vs India: Presidential Elections)

विशेषता	USA	भारत
निर्वाचक मंडल	538 इलेक्टर्स (निर्वाचक); राज्यवार, कांग्रेस सीटों के आधार पर	सांसद + विधायक (केवल निर्वाचित); कोई मनोनीत सदस्य नहीं निर्वाचक मंडल में शामिल **नहीं** होते हैं।
शासी अधिनियम/	राज्य-विशिष्ट नियम; विकेन्द्रीकृत	केंद्रीय कानून: राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952
नामांकन प्रक्रिया	**प्राइमरी** और **कॉकस** के माध्यम से	50 प्रस्तावक + 50 अनुमोदक की आवश्यकता है
मतदान प्रणाली	अधिकतर राज्य विनर-टेक-ऑल दृष्टिकोण का पालन करते हैं; **उम्मीदवार पॉपुलर वोट (सर्वाधिक मत) में जीत के बिना भी राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है।**	एकल संक्रमणीय मत द्वारा **आनुपातिक प्रतिनिधित्व**
चुनाव चक्र	प्रत्येक 4 वर्ष (निश्चित अवधि)	हर 5 साल में या जब रिक्ति उत्पन्न होती है
उप-राष्ट्रपति	राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एक संभावित साथी (उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार) चुनता है।	भारत के उपराष्ट्रपति के लिए **अलग से चुनाव** होता है।

1.9.2. भारत और फ्रांस (India and France)

समानताएं

- **मूल आदर्श:** स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व (फ्रांसीसी क्रांति से)
- **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार**
- **द्विसदनीय विधायिका**
- **दोनों में आपातकालीन प्रावधान मौजूद हैं**

मुख्य अंतर

विशेषता	भारत	फ्रांस
संघवाद	भारत संघात्मक (Federal) संरचना वाला देश है, जिसमें एकात्मक (Unitary) विशेषताएँ भी शामिल हैं।	विकेंद्रीकरण के साथ **एकात्मक**
सरकार का स्वरूप	**संसदीय प्रणाली:** प्रधान मंत्री कार्यकारी प्रमुख हैं	**अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली:** राष्ट्रपति + प्रधानमंत्री सत्ता साझा करते हैं
राष्ट्रपति	अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, असीमित कार्यकाल	प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, **अधिकतम 2 कार्यकाल**
पंथनिरपेक्षता	**सकारात्मक पंथनिरपेक्षता:** सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान	**सख्त पृथक्करण:** धर्म में राज्य की कोई भागीदारी नहीं
जनमत संग्रह	संविधान में **प्रावधान नहीं है**	संवैधानिक रूप से प्रदान किया गया

2. संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां (ISSUES AND CHALLENGES PERTAINING TO THE FEDERAL STRUCTURE)

2.1. राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग (States' Demand For Autonomy)

तमिलनाडु राज्य सरकार ने **राज्य की स्वायत्तता और संघवाद को मजबूत करने हेतु उपाय सुझाने के लिए** सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश **न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ** की अध्यक्षता में **एक उच्च स्तरीय समिति का गठन** किया है।

भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था

- भारत और **राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं** है। है और **राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं** है।
- इसकी विशेषताओं में एकल संविधान, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत न्यायपालिका आदि शामिल हैं।
- विधायी शक्तियां अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची (संघ, राज्य, समवर्ती सूची) के तहत विभाजित हैं।
- भारतीय संघवाद एक मजबूत केंद्र के साथ अर्ध-संघीय है।

केंद्रीकृत संघवाद अपनाने के कारण

- विभाजन के बाद एकता और अखंडता बनाए रखना।
- क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को कम करना।
- न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे संवैधानिक मूल्यों को लागू करना।
- पूरे देश में एक समान कानून सुनिश्चित करना।

राज्य की स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले मुद्दे

- राज्य सूची के विषयों में केंद्र का हस्तक्षेप (जैसे, कृषि और विपणन पर केंद्र द्वारा पारित कानून, जो राज्य सूची के विषय हैं)।
- कराधान पर केंद्रीय नियंत्रण (जैसे, GST) और कर हस्तांतरण में देरी।
- एक समान नीतियाँ सभी राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं हैं (जैसे, त्रि-भाषा फार्मूले का विरोध)।
- अंतर-राज्यीय परिषद जैसे सहकारी तंत्र का कमजोर उपयोग।
- अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपालों द्वारा राज्य विधेयकों पर विलंबित स्वीकृति।
- CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियां राज्य की सहमति के बिना काम कर रही हैं।

केंद्र-राज्य संबंधों को सुधारने की प्रमुख पहलें

- केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद का गठन।
- नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
- 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया।
- GST परिषद (अनुच्छेद 279A) में केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं।
- दोहराव को कम करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कमी।

संघवाद में सुधार के लिए सिफारिशें

- **सरकारिया आयोग (1983):**
  - समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श करें।
  - अवशिष्ट शक्तियों (कर निर्धारण को छोड़कर) को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाए।
- **पुंछी आयोग (2007):** बढ़े हुए हस्तांतरण के माध्यम से समान विकास को बढ़ावा देना।
- **वेंकटचलैया आयोग:** अंतर-राज्यीय परिषद का ज्यादा-से-ज्यादा और प्रभावी ढंग से उपयोग करना।
- क्षेत्रीय परिषदों, GST परिषद और नीति आयोग के माध्यम से संवाद को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

संघवाद को मजबूत करने के लिए आपसी सम्मान, बेहतर परामर्श तंत्र और राष्ट्रीय हित और राज्य स्वायत्तता के बीच संतुलन की आवश्यकता है।

2.2. नए राज्यों की मांग (Demand For New States)

2 जून 2024 को तेलंगाना राज्य के गठन के 10 वर्ष पूरे हुए।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 3:** संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में में बदलाव कर सकती है।
- नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक **राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर ही संसद के किसी भी सदन में** पेश किया जाएगा
- **राज्य विधानमंडल परामर्श:** राष्ट्रपति विधेयक को विचार के लिए भेजते हैं (बाध्यकारी नहीं)।

मांगों के कारण

- **भाषाई पहचान:** महाराष्ट्र-गुजरात (1960) भाषा पर आधारित।
- **क्षेत्रीय असमानता:** विदर्भ जैसे पिछड़े क्षेत्र अलगाव की मांग करते हैं।
- **सांस्कृतिक/जातीय पहचान:** बोडोलैंड (असम) जनजातीय पहचान को संरक्षित करना चाहता है।
- **प्रशासनिक सुविधा:** हरित प्रदेश (U.P.) जैसी मांगें

राज्य पुनर्गठन पर आयोग/समितियां

- **एस.के.धर आयोग (1948):** प्रशासनिक सुविधा का समर्थन किया।
- **जे.वी.पी. समिति (1948):** भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग खारिज कर दी थी।
- **फजल अली आयोग (1953):**
- **सुझाए गए मानदंड:** राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा; भाषाई और सांस्कृतिक समरूपता, आदि।
- **राज्य** पुनर्गठन **अधिनियम, 1956 (7वां** संविधान संशोधन)

बेरुबारी यूनियन केस (1960)

- संसद अनुच्छेद 3 के तहत **क्षेत्र नहीं सौंप सकती।**
- किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरण के लिए **संवैधानिक संशोधन** (अनुच्छेद 368) की आवश्यकता होती है।
- पाकिस्तान को क्षेत्र हस्तांतरण के लिए **9वें संशोधन अधिनियम (1960)** का प्रयोग किया गया।

पक्ष में तर्क

- **प्रशासनिक दक्षता:** तेलंगाना का धान उत्पादन ~4.57 से बढ़कर ~20 मिलियन मीट्रिक टन (2015-23) हो गया।
- **नवाचार:** सिक्किम के जैविक कृषि मॉडल ने केरल के 2023 मिशन को प्रेरित किया।
- **आर्थिक प्रदर्शन:** गोवा, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों का व्यापार अनुपात बेहतर है।
- **क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई हैं:** उत्तराखंड की गरीबी 17.67% (2015-16) से घटकर 9.67% (2019-21) हो गई।

विपक्ष में तर्क

- **उच्च लागत:** आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती की अनुमानित लागत ₹40,000 करोड़ है।
- **संसाधन संघर्ष:** कृष्णा नदी जल बंटवारा विवाद।
- **सीमा विवाद:** बेलगावी विवाद
- **पेंडोरा बॉक्स:** इससे अंतहीन मांगें पैदा हो सकती हैं।

आगे की राह

- **संतुलित विकास:** राज्य की नई मांगों को कम करने के लिए अंतर-राज्यीय समानता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **विशेषज्ञ समिति का गठन:** व्यवहार्यता, आवश्यकताओं और प्रभाव का आकलन करना चाहिए।
- **आर्थिक व्यवहार्यता:** पहले दिन से ही 60% आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।
- **स्पष्ट दिशा-निर्देश:** राज्य निर्माण के लिए वस्तुनिष्ठ, गैर-राजनीतिक मानदंडों का उपयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष

नये राज्य प्रशासन में सुधार कर सकते हैं और क्षेत्रीय शिकायतों का समाधान कर सकते हैं, लेकिन इन्हें आर्थिक व्यवहार्यता, राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में तौला जाना चाहिए।

2.3. राज्य के विधेयकों को स्वीकृति (Assent to State Bills)

सुप्रीम कोर्ट ने **तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल** मामले में **राज्य विधान-मंडल** द्वारा पारित विधेयकों को समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के विकल्प:**
  - **स्वीकृति या सहमति प्रदान करना।**
  - **सहमति न देना**
  - **पुनर्विचार के लिए वापस भेजना** (धन विधेयक को छोड़कर): यदि विधेयक को पुनर्विचार के बाद पुनः पारित किया जाता है तो **राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी होगी।**
  - **राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करें।**
- **अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास मौजूद विकल्प (आरक्षित विधेयकों के लिए):**
  - **स्वीकृति प्रदान करना**
  - **सहमति न देना**
  - **पुनर्विचार के लिए वापसी** (विधानमंडल को 6 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी; अंतिम विवेकाधिकार राष्ट्रपति के पास है)
  - पुनर्विचार के बाद भी **राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं हैं।**

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु

- **निष्क्रियता असंवैधानिक है:** राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई पॉकेट या आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto) भी उपलब्ध नहीं हैं।
- **परमादेश उपाय:** राज्य कार्रवाई के लिए बाध्य करने हेतु न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
- **विधान सभा द्वारा फिर से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता:** जब तक कि पहली बार में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए विधेयक से मूल रूप से भिन्न हो।
- विधेयकों को मंजूरी देने के लिए **समय-सीमा निश्चित की गई।**
- **राज्यपाल का विवेक सीमित है:** सीमित मामलों (जैसे, उच्च न्यायालय की शक्तियों का हनन) को छोड़कर, उन्हें **मंत्रिपरिषद की सलाह** पर कार्य करना होगा।
- **विवेकाधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है।**
- **अनुच्छेद 143:** राष्ट्रपति को सलाह दी गई कि वे असंवैधानिकता के कारण विधेयकों को खारिज करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय की राय लें।

निष्कर्ष

यह निर्णय **विधायी दक्षता को बढ़ाता है**, **कार्यकारी विवेक के दुरुपयोग को सीमित करता है**, तथा संवैधानिक कर्तव्यों और समय-सीमा की पुष्टि करके **सहकारी संघवाद को मजबूत करता है।**

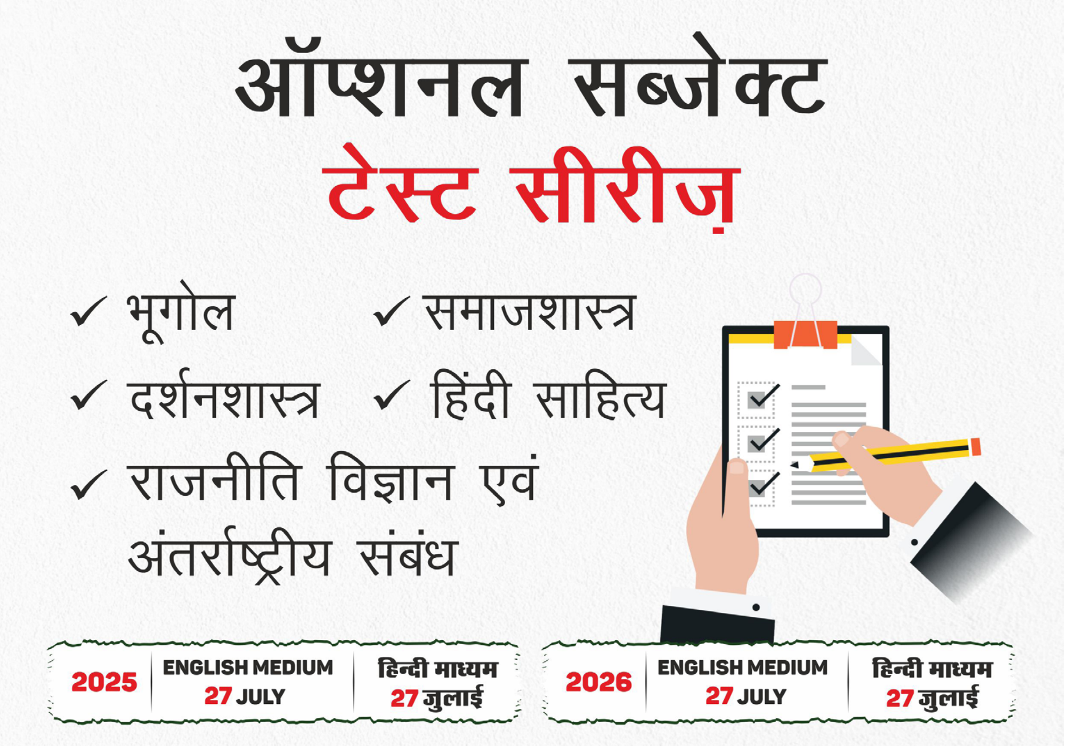

3. संसद और राज्य विधान-मंडल: संरचना और कार्यप्रणाली (PARLIAMENT AND STATE LEGISLATURES: STRUCTURE AND FUNCTIONING)

3.1. संसद की कार्य उत्पादकता में गिरावट (Decline In Parliamentary Productivity)

लोकसभा अध्यक्ष ने संसद की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया।

संबंधित तथ्य

- **17वीं लोकसभा** : 88% उत्पादकता; राज्यसभा 73% (PRS रिपोर्ट)।
- **18वीं लोकसभा (शीतकालीन 2024)** : घटकर 54.5% (लोकसभा), 40% (राज्यसभा) रह गई।
- **राज्य विधायिका की स्थिति (2025)** :
  - बैठकों की औसत संख्या 28 (2017) से घटकर 20 (2024) हो गए।
  - एक दिन में 51% विधेयक पारित हुए; केवल 4% को समितियों को भेजा गया।
  - 8 राज्य/ केंद्रशासित में उपाध्यक्ष का पद रिक्त है (अनुच्छेद 178)।
  - 18% विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने में 3 महीने से अधिक का समय लगा।

व्यवधान के कारण

- **मूल कारण**
  - प्रमुख मुद्दों (जैसे, हिंडनबर्ग मामला) से प्रेरित।
  - विपक्ष अपनी दृश्यता के लिए व्यवधान का उपयोग करता है।
  - दल-बदल विरोधी कानून सांसदों को पार्टी लाइन का पालन करने के लिए मजबूर करता है, जिससे बहस पर रोक लगती है।
- **संरचनात्मक**
  - अधिक पार्टियाँ = बहस के लिए कम समय।
  - विधायी कार्यों के लिए कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं।

प्रभाव

- जाँच-पड़ताल कमजोर होती है, जिससे जल्दबाजी में कानून बनते हैं।
- जनता का विश्वास घटता है; उच्च लागत (₹2.5 लाख/ मिनट; 2021 में ₹133 करोड़ का नुकसान)।

संसदीय व्यवधानों से निपटने के उपाय

- **प्रस्ताव सीमा बढ़ाएँ**: प्रमुख प्रस्तावों के लिए 20-30% सांसदों के समर्थन की आवश्यकता हो।
- **विपक्ष का समय** : विपक्ष की बहसों के लिए निश्चित दिन आरक्षित करें (जैसे ब्रिटेन के "विपक्ष दिवस")।
- **अधिक बैठकें:** NCRWC ने एक वर्ष में लोकसभा (120), राज्यसभा (100), और राज्य विधानमंडलों (छोटे-50, बड़े-90) के लिए न्यूनतम बैठकों का सुझाव दिया।
- **आम सहमति निर्माण** : नीति निर्माण में सरकार-विपक्ष के सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- **व्यवधान को परिभाषित करें**: नियमों में **व्यवधान और रुकावट के बीच स्पष्ट अंतर बताएं।**
- **आचार समितियों को मजबूत बनाना**: सांसदों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना।

निष्कर्ष

जैसा कि अम्बेडकर ने कहा था, एक सुदृढ़ संविधान भी निरर्थक है यदि उसे लागू करने वाले लोग गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम करते हैं, इसलिए आचार संहिता और निश्चित बैठक दिवस जैसे सुधार आवश्यक हैं।

3.2. गठबंधन सरकार (Coalition Government)

2024 के लोक सभा आम चुनाव के बाद केंद्र में **गठबंधन सरकार** बनी है। ऐसा किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण हुआ है।

गठबंधन सरकार का महत्व

- **समावेशी शासन** : व्यापक क्षेत्रीय और वैचारिक प्रतिनिधित्व।
- **नियंत्रण एवं संतुलन** : अधिनायकवाद को रोकता है।
- आम सहमति आधारित नीतियाँ
- **संघवाद को बढ़ावा** : केंद्र में राज्य की आवाज को सशक्त बनाता है ।

चुनौतियां

- **राजनीतिक अस्थिरता** : सहयोगियों के बीच संघर्ष (जैसे, 1998 में NDA का पतन)।
- **नीतिगत पक्षाघात**: निर्णय लेने में देरी (जैसे, UPA-I और परमाणु समझौता)।
- **अल्पकालिक फोकस** : कमजोर दीर्घकालिक योजना।
- **वैचारिक क्षीणता**: पार्टियां अपने मूल सिद्धांतों से समझौता करती हैं।
- **क्षेत्रवाद का उदय** : राज्य-विशिष्ट एजेंडे हावी रहते हैं।
- **विदेश नीति की बाधाएं**: घरेलू दबाव कूटनीति को प्रभावित करते हैं (उदाहरणार्थ, तीस्ता समझौता, 2011)।

आगे की राह

- **रचनात्मक अविश्वास** : प्रधानमंत्री को तभी हटाया जाए जब वैकल्पिक नेता का प्रस्ताव हो।
- यदि गठबंधन मध्यावधि में बदल जाए तो **पुनः चुनाव कराने का आदेश दिया जाएगा।**
- **पारदर्शी शासन** : गठबंधन के वादों और प्रदर्शन पर नज़र रखना।
- **दीर्घकालिक दृष्टिकोण** : नीति स्थिरता के लिए अंतर-राज्य परिषद, नीति आयोग का उपयोग करना।

निष्कर्ष

गठबंधन विचार-विमर्श वाले लोकतंत्र और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं, जो क्षेत्रीय विविधता को राष्ट्रीय एकता के साथ संतुलित करते हैं।

3.3 दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधान सभा के अध्यक्ष को दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही में देरी करने पर चेतावनी जारी की।

दल-बदल विरोधी कानून के बारे में

- राजनीतिक दल-बदल पर अंकुश लगाने के लिए **52वें संशोधन, 1985 (दसवीं अनुसूची)** के माध्यम से पेश किया गया।
- **अयोग्यता के आधार** :
  - स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ना।
  - मतदान के दौरान पार्टी व्हिप की अवहेलना करना।

दल-बदल विरोधी कानून पर प्रमुख निर्णय

- **किहोतो होलोहन (1992)**: यदि अध्यक्ष अयोग्यता में देरी करते हैं तो **न्यायिक समीक्षा की अनुमति है।**
- **कर्नाटक विधायक मामला (2020)**: अयोग्यता की शक्ति को एक **स्वतंत्र न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया।**

गुण

- **स्थिरता सुनिश्चित करता है**: बार-बार सरकार गिरने से बचाता है
- **भ्रष्टाचार पर अंकुश** : खरीद-फरोख्त को हतोत्साहित करता है।
- **जनादेश का सम्मान**: मतदाता की पसंद और पार्टी की विचारधारा को बनाए रखता है।

दोष

- **असहमति को समाप्त करता है:** सांसदों/विधायकों को पार्टी लाइन का पालन करने के लिए मजबूर करता है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) बाधित होती है।
- **लोकतंत्र को कमजोर करता है:** विधायक पार्टी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं।
- **नवाचार को रोकता है:** बहस और स्वतंत्र सोच को सीमित करता है।

निष्कर्ष

हालांकि पार्टी अनुशासन महत्वपूर्ण है, लेकिन अत्यधिक नियंत्रण विचार-विमर्श वाले लोकतंत्र को कमजोर करता है। कानून को मजबूत करने के लिए **समयबद्ध निर्णय** और **स्वतंत्र प्राधिकरण** जैसे सुधारों की आवश्यकता है।

3.4. लोक सभा का उपाध्यक्ष (Deputy Speaker Of The Lok Sabha)

यह पद 2019 से रिक्त है, जिससे संवैधानिक चिंताएँ पैदा हो रही हैं।

उपाध्यक्ष के कार्यालय के बारे में

- **उत्पत्ति**: भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत निर्मित।
- **चुनाव**: अनुच्छेद 93 - लोकसभा द्वारा निर्वाचित; आमतौर पर विपक्ष से।
- **निष्कासन**: अनुच्छेद 94 - सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा।
- **भूमिका:** अध्यक्ष के पद की रिक्ति/अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है (अनुच्छेद 95)।

पद रिक्ति से संबंधित मुद्दे

- **केंद्रीकृत शक्ति** : अध्यक्ष के पास अत्यधिक प्रक्रियात्मक नियंत्रण होता है।
- **संवैधानिक उल्लंघन**: विलंब से संवैधानिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन होता है।
- **समावेशिता का अभाव**: सर्वसम्मति आधारित संसदीय कार्यप्रणाली को कमजोर करता है।

महत्त्व

- **संवैधानिक अनिवार्यता**: अध्यक्ष के समान दर्जा।
- **संस्थागत निरंतरता**: अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सुचारू कामकाज सुनिश्चित करता है।
- **विधायी कर्तव्य**: सत्रों, समितियों की अध्यक्षता करता है और निष्पक्षता बनाए रखता है।

निष्कर्ष

समय पर नियुक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक निश्चित समय-सीमा (जैसे, नई लोकसभा के गठन के 60 दिनों के भीतर) या एक वैधानिक प्रावधान जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है।

3.5. विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (Representation Of Women In Legislature)

18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद हैं, जो 17वीं लोकसभा की 78 महिला सांसदों से थोड़ी कम है।

वर्तमान स्थिति

- 2024 में 797 महिला उम्मीदवारों में से **9.7% ने जीत हासिल की (बनाम 2019 में 10.74%)।**
- **लोकसभा में महिलाएं:** 5% (प्रथम लोकसभा) से बढ़कर अब तक के सर्वाधिक 14.4% (17वीं लोकसभा) तक पहुंचीं।
- **राज्यसभा**: 14.05% महिलाएं
- **वैश्विक औसत**: 26.9%; रवांडा 60% से अधिक महिला सांसदों के साथ अग्रणी है।

महिला प्रतिनिधित्व का महत्व

- महिला सांसद विकास संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं (एसेक्स अध्ययन, 2019)।
- लगभग 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करने के कारण, उनका राजनीतिक समावेश महत्वपूर्ण है।
- भ्रष्टाचार और आपराधिकता की प्रवृत्ति कम होती है (ऑक्सफोर्ड, 2018)।

महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए कदम

- **नारी शक्ति वंदन अधिनियम , 2023 (106 वां संशोधन):** लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है।
- **73वां एवं 74वां संशोधन** : पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में **1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया।**
- **SDG 5.5** : भारत राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की **समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध** है।

चुनौतियां

- **सामाजिक बाधाएँ** : पितृसत्ता, पारिवारिक भूमिकाएँ, पुरुष-प्रधान राजनीति।
- **संरचनात्मक बाधाएँ**: उच्च लागत, धमकियाँ, अभियान के दौरान दुर्व्यवहार।
- **आंतरिक पितृसत्ता**: महिलाएँ सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होती हैं (जैसे, 'सरपंच पति' की अवधारणा)।

निष्कर्ष

सच्चे लोकतंत्र के लिए **समान प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है**, जो महिलाओं की विधायी उपस्थिति को एक **राजनीतिक और संवैधानिक आवश्यकता** बनाता है।

3.6. गैर-सरकारी विधेयक (Private Member Bill)

PRS रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में संसद के दोनों सदनों में गैर-सरकारी विधेयकों को मिलने वाले समय में कमी आई है।

PMB का महत्व

- **नीतिगत नवाचार**: नए विचार प्रस्तुत करता है (जैसे, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2019)।
- **सुधार**: कानूनी बदलाव को प्रेरित करता है (जैसे, ट्रांसजेंडर अधिकार विधेयक, 2014)।
- **स्वतंत्र विचार**: पार्टी लाइन से परे जाकर विचार प्रस्तुत करता है।
- **सरकार की जवाबदेही:** विकल्प प्रस्तुत करता है।

गिरावट के कारण

- **सीमित समय**: प्रति सप्ताह केवल 2-3 घंटे आवंटित किए जाते हैं, जो अक्सर स्थगन के कारण बाधित होते हैं।
- **कम प्राथमिकता:** 17वीं लोकसभा में पेश किए गए 1,434 में से केवल 16 पर चर्चा हुई।
- **प्रक्रियात्मक बाधाएं:** विधेयकों को स्वीकार करने में अध्यक्ष/सभापति का विवेक।
- **समर्थन का अभाव:** सांसदों के पास जटिल कानून का मसौदा तैयार करने के लिए आवश्यक अनुसंधान सहायता की कमी होती है।
- **ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड**: आजादी के बाद से केवल 14 निजी सदस्य विधेयक ही पारित हुए हैं।

आगे की राह

- समर्पित समय और डिजिटल ट्रैकिंग।
- सांसदों के लिए अनुसंधान सहायता इकाइयां स्थापित करना।
- PMB के लिए एक स्क्रीनिंग (जांच) समिति का गठन करना।
- संक्षिप्त PMB प्रस्तुतियों के लिए ब्रिटेन के "10-मिनट के नियम" को अपनाना।

4. न्यायपालिका और अन्य अर्ध-न्यायिक निकायों की संरचना और कार्यप्रणाली (STRUCTURE AND FUNCTIONING OF JUDICIARY AND OTHER QUASI-JUDICIAL BODIES)

4.1. आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System)

4.1.1. आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम (Criminal Law Reform Acts)

1 जुलाई, 2024 को तीन नए आपराधिक कानून लागू होंगे:

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS) –** भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की जगह।
- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) –** दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की जगह।
- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) –** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेता है

मुख्य प्रावधान

- **BNS, 2023**
  - छोटे-मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान।
  - 18 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार के कृत्य को नाबालिग के साथ बलात्कार माना जाएगा।
  - राजद्रोह से जुड़े प्रावधान को हटाया गया; आतंकवाद और संगठित अपराध को परिभाषित किया गया।
  - धोखे या झूठे वादे करके से यौन संबंध बनाना अपराध माना गया।
- **BNSS, 2023**
  - समय-सीमा के भीतर सुनवाई और मेडिकल रिपोर्ट।
  - 7+ वर्ष की सजा वाले अपराधों के लिए अनिवार्य फॉरेंसिक जांच।
  - पहली बार के विचाराधीन कैदी निजी मुचलके (बॉन्ड) पर रिहाई के पात्र।
  - पीड़ित-केंद्रित सुधार (जैसे, किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने की सुविधा)।
- **BSA, 2023**
  - साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता।
  - वीडियो-रिकॉर्डेड मौखिक साक्ष्य की अनुमति।
  - भगोड़े अपराधियों के लिए संयुक्त सुनवाई का प्रावधान।
  - "दस्तावेज़" का दायरा बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनिक रूपों को शामिल किया गया।

चिंताएँ

- **अस्पष्ट परिभाषाएं** (जैसे, "आतंकवाद") असहमति को दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं।
- UAPA जैसे कानूनों के तहत **पुलिस को मिला व्यापक विवेकाधिकार** दुरुपयोग का जोखिम बढ़ाता है।
- संक्रमणकालीन मुद्दों के कारण **मुकदमों में देरी की संभावना।**
- उपकरणों की जब्ती से **गोपनीयता संबंधी चिंताएँ।**

महत्व

- औपनिवेशिक दंडात्मक सोच से हटकर एक **न्याय-केंद्रित प्रणाली** की ओर एक बदलाव।
- **मानवाधिकारों को मजबूत करता है** (मॉब लिंचिंग और यातना को अपराध बनाया गया)।
- ई-FIR, वीडियो बयान और अनिवार्य फॉरेंसिक के साथ **डिजिटल बदलाव** को बढ़ावा।
- **भारतीय मूल्यों पर आधारित:** न्याय और धर्म पर आधारित भारतीय लोकाचार को दर्शाता है।

निष्कर्ष

ये कानून औपनिवेशिक न्याय से नागरिक-केंद्रित न्याय की ओर एक बड़ा बदलाव हैं। इनकी सफलता अधिकारों की रक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी, स्पष्ट नियमों और नियमित समीक्षा पर निर्भर करती है।

4.1.2. निःशुल्क विधिक सहायता (FREE LEGAL AID)

सुप्रीम कोर्ट ने **जेल में बंद कैदियों को "निःशुल्क और समय पर विधिक सहायता" सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश** जारी किए।

SC दिशा निर्देश

- **SOP-2022 को** लागू करें और अपडेट करें।
- **कैदी विधिक सहायता क्लीनिक (PLACs)** को मजबूत करें।
- **कानूनी सहायता बचाव वकील** द्वारा किए गए **कार्यों का नियमित निरीक्षण और ऑडिट** करना।
- **स्थानीय भाषाओं** में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- **जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs)** द्वारा **राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs)** को नियमित रिपोर्टिंग।

भारत में मुफ्त विधिक सहायता के लिए प्रावधान

- **संवैधानिक:** अनुच्छेद 21 (निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार), अनुच्छेद 39A (समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता)।
- **वैधानिक:** कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 341.
- **दायरा:** कानूनी सलाह, अदालती प्रतिनिधित्व, मध्यस्थता, और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)।
- **पात्र समूह:** महिलाएँ, बच्चे, SC/ST, विकलांग व्यक्ति, गरीब, आपदा पीड़ित, आदि।

कानूनी सहायता पर प्रमुख निर्णय

- **एम.एच. होसकोट (1978):** मान्यता प्राप्त कैदियों के लिए **अनुच्छेद 21 के अधिकारों के** भाग के रूप में **निःशुल्क कानूनी सहायता।**
- **हुसैनारा खातून (1979)**: **त्वरित सुनवाई** और **कानूनी सहायता को अनुच्छेद 21** के लिए आवश्यक बताया।

चुनौतियां

- विचाराधीन कैदियों में जागरूकता की कमी
- खराब गुणवत्ता वाले और अप्रशिक्षित विधिक सहायता वकील
- अपर्याप्त वित्तपोषण और जटिल पात्रता मानदंड
- नौकरशाही देरी
- भाषा और भौगोलिक बाधाएँ

शुरू की गई पहलें

- **दिशा:** क़ानूनी मुकदमे से पहले विवाद निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए।
- **टेली-लॉ**: ऑनलाइन कानूनी परामर्श के लिए।
- **न्याय बंधु**: निःशुल्क (प्रो बोनो) कानूनी सेवाओं के लिए।
- **न्याय मित्र**: लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए।
- **लोक अदालतें**: कम लागत पर त्वरित विवाद समाधान के लिए।

आगे की राह

- वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना और नियमों को सरल बनाना
- LSAs के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
- जागरुकता अभियान चलाएँ (जैसे, हक हमारा भी तो है @75)।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना (जैसे, जेल के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाना)।
- प्रशिक्षित पेशेवरों के साथ गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

निःशुल्क विधिक सहायता **न्याय तक पहुंच को मजबूत करती है**, **समावेशिता सुनिश्चित करती है** और **विधि के शासन को बनाए रखती है**—जो लोकतांत्रिक शासन का एक स्तंभ है।

4.2. जेल सुधार (Prison Reforms)

सुकन्या शांता बनाम भारत संघ (2024) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, केंद्र ने जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए **मॉडल जेल मैनुअल, 2016 के नियमों और मॉडल जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023** में संशोधन किया है।

प्रमुख संशोधन

- कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 14, 15, 17 का उल्लंघन)।
- 2013 के अधिनियम के तहत प्रतिबंधित मैनुअल स्कैवेंजिंग अब जेलों में भी लागू कर दी गई है।

आदर्श कारागार अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएं

- **विशेष जेलें**: उच्च सुरक्षा वाली सेमी-ओपन या ओपन जेलें स्थापित करने का प्रावधान।
- **सुधार**: कानूनी सहायता, पैरोल, और छुट्टी पर गए लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी।
- **पुनर्वास**: व्यावसायिक प्रशिक्षण और महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग आवास सुविधाएं।

सुधारों की आवश्यकता

- **औपनिवेशिक युग का कानून: कारागार अधिनियम, 1894** पुराना हो चुका है; सुप्रीम कोर्ट ने राममूर्ति बनाम कर्नाटक (1996) में सुधार का आह्वान किया था।
- **क्षमता से अधिक कैदी:** 5.73 लाख (क्षमता का 131%), इनमें से 76% विचाराधीन हैं।
- **जेलों में अमानवीय स्थिति:** उचित स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण का अभाव।
- **भेदभाव**: जाति-आधारित कार्य विभाजन, जेलों के अंदर हाथ से मैला ढोना।
- **विलंब**: मृत्युदंड के मामलों में लंबी देरी होती है; निष्पादन दर केवल 0.3% (2006-22)।

सुधार उपाय

- फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- मॉडल जेल मैनुअल 2016
- भारत में महिला कैदियों की स्थिति पर **न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर रिपोर्ट (1987)**।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग** :
  - **ई-प्रिजन** : जेल प्रबंधन प्रणाली।
  - **FASTER (फास्टर एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकाड्र्स) प्रणाली**: मानत आदेशों को जेलों तक पहुंचने में होने वाली देरी को समाप्त करती है।
  - **इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS):** न्यायालयों, पुलिस, जेलों को जोड़ती है।

कानूनी ढांचा

- **राज्य सूची के विषय** (प्रविष्टि 4, राज्य सूची); कारागार अधिनियम, 1894 द्वारा शासित।
- **मॉडल अधिनियम 2023**: राज्यों को अपनाने के लिए एक सलाहकार ढांचे के रूप में कार्य करता है।
- **BNSS 2023:**
  - **धारा 479:** लंबे समय तक विचाराधीन हिरासत के मामलों में जमानत का प्रावधान।
  - **धारा 289-300:** दोष-स्वीकारोक्ति (प्ली बार्गेनिंग) के प्रावधान शामिल हैं।

वैश्विक मानक

- **बैंकॉक नियम (2010):** महिला कैदियों के साथ व्यवहार।
- **नेल्सन मंडेला नियम (2015):** कैदियों के साथ व्यवहार के न्यूनतम मानक।

निष्कर्ष

भारत को दंडात्मक से सुधारात्मक जेल नीतियों की ओर स्थानांतरित होना चाहिए, तथा अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत सम्मान और अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए।

4.3. न्यायिक सुधार (Judicial Reforms)

4.3.1. न्यायिक जवाबदेही (JUDICIAL ACCOUNTABILITY)

दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के आवास पर करोड़ों रुपये नकद मिलने से **भारत की उच्चतर न्यायपालिका में जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़** गई हैं।

न्यायिक जवाबदेही के लिए मौजूदा तंत्र

- **पद से हटाया जाना:** अनुच्छेद 124, 217 **और 218** तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968) द्वारा शासित।
- **आंतरिक जांच प्रक्रिया (1999):** "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन" (1997) और न्यायिक आचरण संबंधी बैंगलोर सिद्धांत, (2002) पर आधारित एक आंतरिक प्रक्रिया, जिसमें सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और औचित्य शामिल हैं।
- **संपत्ति घोषणा:** सार्वजनिक संपत्ति की घोषणा अनिवार्य नहीं है (हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में मुख्य न्यायाधीश से इसका खुलासा करने का आग्रह किया है)।

भारत में न्यायिक जवाबदेही से संबंधित चिंताएं

- **न्यायिक स्वतंत्रता के साथ टकराव** (न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं)।
- पद से हटाने की जटिल प्रक्रिया।
- न्यूनतम बाह्य निगरानी के साथ स्व-नियमन।
- RTI पर प्रतिबंध, कानूनी छूट और सीमित पारदर्शिता।

आगे की राह

- न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक को पुनर्जीवित करें।
- न्यायिक और गैर-न्यायिक दोनों सदस्यों वाला एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन।
- न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए एक स्थायी अनुशासनात्मक निकाय स्थापित करें।
- न्यायपालिका के लिए नियमित प्रदर्शन समीक्षा की एक प्रणाली लागू करें।

4.3.2 न्यायिक रिक्तियां (Judicial Vacancies)

सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों में न्यायपालिका में वर्तमान में 5,600 से अधिक रिक्तियां हैं (सुप्रीम कोर्ट में 2, हाई कोर्ट्स (HC) में 364, और निचली अदालतों में 5,245 पद)।

कारण

- न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, मृत्यु।
- कॉलेजियम और परीक्षा प्रक्रियाओं में देरी।
- कम वेतन और अधिक कार्यभार प्रतिभा को हतोत्साहित करता है।

प्रभाव

- **न्याय में देरी:** सुप्रीम कोर्ट में 19,500 और उच्च न्यायालय में 27 लाख मामले लंबित।
- कम न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात (2007 तक 50/मिलियन का लक्ष्य पूरा नहीं)।
- लंबित मामले और तनाव से त्रुटियां बढ़ती हैं।

आगे की राह

- संतुलित नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) पर पुनर्विचार करें।
- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) शुरू करें।
- मांग को पूरा करने के लिए न्यायिक क्षमता की समय-समय पर समीक्षा करें।

4.3.3 साक्षी संरक्षण योजना (WPS), 2018 {Witness Protection Scheme (WPS), 2018}

"न्याय प्रणाली की आंख और कान" के रूप में साक्षी या गवाह के महत्व को रेखांकित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने WPS, 2018 के क्रियान्वयन को लेकर चिंता जताई है।

योजना के बारे में

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित, सभी राज्यों के लिए अनिवार्य।
- खतरे के स्तर के आधार पर सुरक्षा प्रदान करता है
  - A: जीवन का खतरा,
  - B: सुरक्षा/प्रतिष्ठा/संपत्ति का खतरा
  - C: मध्यम खतरा
- राज्य एक साक्षी संरक्षण कोष बनाए रखते हैं।

चिंताएँ

- धन/अवसंरचना की कमी के कारण निचली अदालतों में खराब कार्यान्वयन।
- केवल गंभीर अपराधों को कवर करता है।
- हाई-प्रोफाइल मामलों में धमकियों और गवाहों के मुकर जाने का सामना करना पड़ता है।
- केवल एक अस्थायी कानून है।

निष्कर्ष

जैसा कि जेरेमी बेंथम ने कहा था "गवाह न्याय की आँखें और कान होते हैं।" बेहतर वित्त पोषण और समन्वय के साथ साक्षी संरक्षण योजना को मजबूत करना, निष्पक्ष और निडर सुनवाई सुनिश्चित करने तथा न्याय बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

4.4. अनुच्छेद 142 (Article 142)

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में, अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए उन विधेयकों को स्वीकृत मानने का आदेश दिया, जो राज्यपाल के पास लंबित थे।

अनुच्छेद 142 के सकारात्मक प्रभाव

- **विधायी शून्यता वाले अत्यावश्यक मुद्दों का समाधान**: POSH अधिनियम से पहले विशाखा दिशा निर्देश (1997)।
- **नागरिक स्वतंत्रता को मजबूत करता है** : **पुट्टस्वामी मामला** (निजता को मौलिक अधिकार)।
- **सुधारात्मक न्याय**: कोयला ब्लॉक रद्दीकरण (2014)।
- **लैंगिक समानता** : बबीता पुनिया मामला (महिलाओं के लिए स्थायी आयोग)।
- **सामाजिक न्याय** : विनीता शर्मा मामला (बेटियों को समान उत्तराधिकार)।

चिंताएँ

- **व्यक्तिपरक उपयोग**: "पूर्ण न्याय" के लिए कोई स्पष्ट मानक नहीं है।
- **न्यायपालिका और विधायिका के बीच की सीमाओं को अस्पष्ट करता है**: उदाहरणार्थ, एस.आर. बोम्मई (1994) – फ्लोर टेस्ट में हस्तक्षेप।
- **गैर-जवाबदेही:**: कोई जांच या चुनौती संभव नहीं।
- **असंगतता**: अप्रत्याशित निर्णय शासन और कानूनी स्पष्टता को प्रभावित करते हैं।
- **संघवाद को कमजोर करना**: राज्यपाल की भूमिका को नजरअंदाज करना (उदाहरणार्थ, तमिलनाडु मामला)।

आगे की राह

- स्पष्ट, मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से "पूर्ण न्याय" के दायरे को परिभाषित करें।
- इस शक्ति के प्रमुख या विवादास्पद उपयोगों को एक संविधान पीठ को संदर्भित करें।
- शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखने के लिए न्यायिक संयम को प्रोत्साहित करें।
- मनमाने या असंगत उपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट सुरक्षा उपाय स्थापित करें।

4.5. ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalayas)

सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के गठन की व्यवहार्यता पर चिंता जताई है। गौरतलब है कि **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 द्वारा ग्राम न्यायालयों के गठन को अनिवार्य** किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकट की गई मुख्य चिंताएं

- **अनिवार्य या वैकल्पिक:** अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि राज्य इन्हें स्थापित कर सकते हैं, इससे अस्पष्टता पैदा होती है।
- **संसाधन की कमी :** सीमित बजट के कारण राज्यों को ग्राम न्यायालयों को वित्तपोषित करने में कठिनाई होती है।
- **न्यायिक बोझ**: ग्राम न्यायालयों से की गई अपीलें उच्च न्यायालयों का कार्यभार बढ़ा सकती हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- **स्थान**: मध्यवर्ती पंचायत स्तर या पंचायतों का समूह।
- **न्यायाधिकारी**: राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है।
- **मोबाइल कोर्ट:** दीवानी और फौजदारी दोनों क्षेत्राधिकार के साथ मोबाइल कोर्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- **सुलहकारी दृष्टिकोण :** मुकदमेबाजी के बजाय मध्यस्थता और सुलह को वरीयता देता है।
- **लचीली प्रक्रिया : भारतीय साक्ष्य अधिनियम** से बंधा नहीं; नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित।
- **समावेश:** मध्यस्थ के रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने की अनुमति।
- **वित्त पोषण: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)** है जो राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

कार्यान्वयन स्थिति

- **लक्ष्य**: 2,500 ग्राम न्यायालय।
- **वास्तविकता**: 500 से भी कम अधिसूचित; केवल **314 कार्यरत**।
- **प्रगतिशील राज्य**: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान।
- **पिछड़े राज्य**: उत्तर प्रदेश, बिहार।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 39A (निःशुल्क कानूनी सहायता) को पूरा करने के लिए, **ग्राम न्यायालयों को राजनीतिक इच्छाशक्ति**, **धन और स्पष्ट नीतिगत दिशा** की आवश्यकता है - ताकि न्याय ग्रामीण नागरिकों के दरवाजे तक पहुँच सके।

4.6 भारत में अधिकरण प्रणाली (Tribunals in India)

सुप्रीम कोर्ट ने **अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021** को चुनौती देने वाली एक सुनवाई के दौरान अधिकरणों में कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों पर चिंता व्यक्त की।

अधिकरण (ट्रिब्यूनल) क्या हैं?

- विशिष्ट क्षेत्रों में विवाद समाधान के लिए बनाए गए **अर्ध-न्यायिक निकाय।**
- **संवैधानिक समर्थन**: **42वें संशोधन (1976)** - भाग XIV-A के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
  - **अनुच्छेद 323A:** लोक सेवा विवादों से निपटने वाले प्रशासनिक अधिकरण।
  - **अनुच्छेद 323B:** कराधान, भूमि सुधार, चुनाव आदि को कवर करने वाले अधिकरण।

कार्यप्रणाली में प्रमुख मुद्दे

- **कर्तव्य निर्वहन हेतु स्वतंत्रता का अभाव**: नियुक्तियों में कार्यपालिका का नियंत्रण; तकनीकी सदस्यों की उपस्थिति न्यायिक स्वायत्तता को कमजोर करती है।
- **लंबित मामलों की अधिक संख्या:**
  - उच्च लंबित मामले, जैसे, औद्योगिक अधिकरण (2021 में 7,312 मामले)
  - सशस्त्र बल अधिकरण (18,829 मामले) लंबित हैं।
- **अवसंरचना की कमी** : रिक्तियों की अधिक संख्या और खराब सेवा शर्तें।
- **अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद** : नियमित अदालतों के साथ टकराव भ्रम पैदा करता है।
- **एकीकृत प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होना**: 16 से अधिक अधिकरण विभिन्न मंत्रालयों के अधीन हैं, जिससे असंगतता होती है।

आगे की राह

- **न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करना**: चयन समितियों में न्यायिक प्रधानता सुनिश्चित करना।
- **राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) की स्थापना**: न्यायाधिकरण की नियुक्तियों, प्रशासन और निगरानी को विनियमित करने के लिए (एल. चंद्र कुमार मामला, 1997 में अनुशंसित)।
- **समय पर नियुक्तियाँ**: रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए सरकारी सेवाओं से प्रतिनियुक्ति का उपयोग करें।

4.7. न्यायपालिका और कानून लागू करने में AI की भूमिका (Role Of Ai In Judiciary And Law Enforcement)

मशीन लर्निंग (ML), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (OCR), प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-संचालित तकनीकों को अदालतों और पुलिस प्रणालियों में एकीकृत किया जा रहा है।

अनुप्रयोग

- **न्यायपालिका का आधुनिकीकरण**:
  - ई-कोर्ट चरण III में केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान और देरी/ स्थगन की भविष्यवाणी के लिए AI सहायक सिद्ध हो सकता है।
  - SUPACE पोर्टल केस फाइलिंग से संबंधित व्यापक डेटा का विश्लेषण करने में न्यायाधीशों की सहायता करता है।
- **कानूनी विषयों का अनुवाद और इनका सभी तक पहुंच:**
  - **सुवास (SUVAS)** ने **सुप्रीम कोर्ट** के 31,000 से अधिक फैसलों का 16 भाषाओं में अनुवाद किया है।
  - **ई-SCR** पोर्टल AI द्वारा अनुवाद किए गए निर्णयों तक पहुंच प्रदान करता है।
- **कानून प्रवर्तन**:
  - अपराध डेटा का उपयोग करके पूर्वानुमानित पुलिसिंग।
  - चेहरे की पहचान (NAFRS, ABHED), AI ड्रोन, वॉयस-FIR, और AR अपराध पुनर्निर्माण।
  - AI को CCTNS, ई-प्रिजन्स और ई-फॉरेंसिक्स में एकीकृत किया गया है।

चुनौतियां

- **पूर्वाग्रह एवं डेटा गुणवत्ता**: खराब या पक्षपातपूर्ण डेटा से अनुचित परिणाम का खतरा होता है; डिजिटल विभाजन से बहिष्कार की स्थिति और बिगड़ती है।
- **अस्पष्टता**: "ब्लैक बॉक्स" AI मॉडल में पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास का अभाव है।
- **कानूनी एवं नैतिक मुद्दे**: विनियमन, गोपनीयता और जवाबदेही में खामियां।
- **अपनाने में बाधाएं** : कम क्षमता, वित्तपोषण और अधिकारियों का प्रतिरोध।

निष्कर्ष

AI न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को बदल सकता है, लेकिन इसकी सफलता के लिए नैतिक सुरक्षा उपायों, मजबूत कानूनों, कुशल जनशक्ति और समावेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।

5. भारत में चुनाव (ELECTIONS IN INDIA)

5.1 राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र (Internal Democracy in Political Parties)

भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को लागू करने में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका पर बहस जारी है।

आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता

- **विकेंद्रीकरण**: शीर्ष नेतृत्व के नियंत्रण को सीमित करता है।
- **अपराधीकरण पर अंकुश**: धन/बल के आधार पर उम्मीदवारों के चयन का विरोध करता है; वर्तमान लोकसभा के 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
- **प्रतिनिधित्व:** युवाओं और वंचित समूहों को अवसर प्रदान करके समावेशिता को प्रोत्साहित करता है।
- **भ्रष्टाचार विरोधी**: द्वितीय ARC रिपोर्ट (2008) दलों में केंद्रीकृत शक्ति को भ्रष्टाचार से जोड़ती है।
- **पारदर्शिता**: नीतियों और नेतृत्व चयन पर खुली बहस को बढ़ावा देती है।

आंतरिक-दलीय लोकतंत्र की कमी के कारण

- **कमजोर कानूनी समर्थन**: जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 29A में प्रवर्तनीयता का अभाव है।
- **पंजीकरण रद्द करने की कोई शक्ति नहीं**: INC बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ECI के अधिकार को सीमित कर दिया।
- **संरचनात्मक बाधाएँ**: वंशवादी राजनीति, केंद्रीकृत शक्ति संरचनाएं, दल-बदल विरोधी कानून और राजनीतिक इच्छाशक्ति की सामान्य कमी लोकतांत्रिक कामकाज में बाधा डालती है।

आगे की राह

- **सुधार समितियाँ**: तारकुंडे (1975), गोस्वामी (1990), और गुप्ता (1998) जैसी समितियों ने पार्टी की पारदर्शिता और विनियमन की वकालत की है।
- **विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट):** पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को विनियमित करने के लिए RPA में एक नया अध्याय (IVC) जोड़ने का प्रस्ताव दिया।
- **NCRWC:** एक व्यापक "राजनीतिक दल (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम" और ECI को पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति देने की सिफारिश की।

5.2 फ्रीबीज/ मुफ्त सुविधाएं (Freebies)

सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न उठाया कि क्या मुफ्त सुविधाएं (फ्रीबीज़) गरीबों में परजीवी मानसिकता को बढ़ावा दे रही हैं और उनमें कार्य करने की इच्छा को हतोत्साहित कर रही हैं।

लोक कल्याण बनाम मुफ्त सुविधाएं

- **लोक कल्याण**: संवैधानिक रूप से समर्थित योजनाओं को संदर्भित करता है जो मानव पूंजी का निर्माण करती हैं और एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करती हैं (जैसे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), मनरेगा)।
- **मुफ्त उपहार**: एकमुश्त बांटी जाने वाली वस्तुओं या लोकलुभावन घोषणाओं को संदर्भित करता है जो आर्थिक प्रोत्साहनों को विकृत करती हैं और वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं होती हैं (जैसे, मुफ्त बिजली, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स)।

कानूनी/संवैधानिक आधार

- **राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSPs):** अनुच्छेद 38, 39, और 41 कल्याण, आजीविका और समानता को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका पर जोर देते हैं।
- **ECI की भूमिका:** ECI ने दलों से अपने चुनावी वादों के संबंध में वित्तीय पारदर्शिता प्रदान करने का आह्वान किया है।

मुफ्त उपहारों पर प्रमुख निर्णय

- **एस. सुब्रमण्यम बालाजी मामला (2013): टीवी/लैपटॉप जैसी वस्तुओं के वितरण** को यह कहते हुए बरकरार रखा कि वे DPSP के अनुरूप हैं।
- **अश्विनी उपाध्याय मामला (चल रहा है)**: सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में चुनाव अभियानों के दौरान दिए जाने वाले **मुफ्त उपहारों की वैधता और प्रभाव की समीक्षा** कर रहा है।

मुफ्त उपहारों का प्रभाव

पक्ष (कल्याणवाद)
- बुनियादी जरूरतों की पूर्ति (भोजन, स्वास्थ्य) करता है।
- लैंगिक समानता और समावेशन को बढ़ावा देता है।
- मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- अल्प-रोजगार जैसी समस्याओं से निपटता है।

विपक्ष (मुफ्त)
- सरकारी बजट पर दबाव बढ़ता है, जिससे बुनियादी ढांचे पर खर्च कम होता है।
- निर्भरता पैदा करता है और उत्पादकता को हतोत्साहित करता है।
- अस्थिर, अंतर-पीढ़ीगत ऋण बोझ की ओर ले जाता है।
- प्रतिस्पर्धा में बाधा डालता है और वोट-बैंक की राजनीति को जन्म देता है।

आगे की राह
- **नीतिगत सुधार:** राजकोषीय अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा दें।
- **कौशल विकास**: निर्भरता से सशक्तिकरण की ओर बढ़ें।
- **विशेषज्ञ निरीक्षण:** मुफ्त की योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए पैनल (नीति आयोग, आरबीआई, वित्त आयोग)।
- **वैश्विक चेतावनियाँ:** श्रीलंका और वेनेजुएला लोकलुभावनवाद के खतरों को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष
अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण को दोहराते हुए, ध्यान को अल्पकालिक तुष्टिकरण से हटाकर दीर्घकालिक मानव विकास पर केंद्रित करना होगा। 'फिस्कल रेस टू द बॉटम' (राजकोषीय गिरावट की होड़) से बचना महत्वपूर्ण है, जैसा कि **एन.के. सिंह** ने चेतावनी दी है।

5.3 भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India: ECI)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अपनी स्थापना (25 जनवरी 1950) के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

ECI के बारे में
- **संवैधानिक निकाय:** संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित।
- **संरचना:** 1 मुख्य चुनाव आयुक्त + चुनाव आयुक्त (वर्तमान में 2), जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- **नया कानून (2023)**: स्वायत्तता बढ़ाने के उद्देश्य से CEC और ECs को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का दर्जा, एक निश्चित कार्यकाल और कानूनी छूट प्रदान की गई।

प्रमुख उपलब्धियां
- अब तक 18 लोक सभा चुनाव और 400 से अधिक राज्य विधान सभा चुनावों का सफल आयोजन किया गया है।
- 100 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाताओं के एक निर्वाचक मंडल का प्रबंधन करता है।
- मतदाता लिंगानुपात में सुधार किया (2024 में 948 महिलाएं/1000 पुरुष)।
- लंबित मामलों का विवरण प्रकाशित करके आपराधिक उम्मीदवारों पर कार्रवाई की।
- सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन (SVEEP) और दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए सुगम्यता ऐप (SAKSHAM) लॉन्च किया।

समस्याएं
- **स्वायत्तता संबंधी चिंताएँ:** पक्षपातपूर्ण चयन प्रक्रिया; ECs को हटाने के मामले में CEC के समान संरक्षण प्राप्त नहीं है।
- **सीमित शक्तियां**: ECI अधिकांश उल्लंघनों के लिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता।
- **कोई स्वतंत्र कर्मचारी नहीं**: यह चुनाव कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों पर निर्भर रहता है।

आगे की राह
- **पारदर्शी चयन**: गोस्वामी समिति (1990) द्वारा अनुशंसित एक चयन पैनल जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों।
- **सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध:** चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के बाद सरकारी नौकरी लेने से प्रतिबंधित किया जाए।
- **स्वतंत्र सचिवालय:** ECI को अपना स्वतंत्र कर्मचारी प्रदान किया जाए और सभी आयुक्तों को हटाने के लिए समान संरक्षण दिया जाए।

निष्कर्ष
अधिक स्वायत्तता और पारदर्शिता ECI में जनता के विश्वास को बढ़ाएगी और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करेगी।

5.4 राज्य चुनाव आयोग (State Election Commissions: SECs)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने कर्नाटक के पंचायती राज संस्थानों (PRI) के चुनावों में महत्वपूर्ण देरी को चिह्नित किया, जिसका कारण राज्य निर्वाचन आयोग का अशक्तीकरण बताया गया।

SECs के बारे में

- 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के तहत बनाए गए।
- पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करना।
- गाडगिल समिति द्वारा अनुशंसित।
- **संवैधानिक प्रावधान**
  - **अनुच्छेद 243K (1)** और **243ZA:** SEC **पंचायतों और नगर पालिकाओं** के चुनावों को नियंत्रित करता है।
  - **अनुच्छेद 243K(2):** कार्यकाल और सेवा शर्तें **राज्यपाल द्वारा तय** की जाती हैं।
  - **निष्कासन: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान** केवल **राष्ट्रपति द्वारा**।

SEC के कार्य

- **स्थानीय निकाय चुनावों** के लिए **निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना।**
- **मतदाता सूची** तैयार करना एवं संशोधित करना।
- **उम्मीदवार की अयोग्यता** सहित विवादों का निर्णय करना।
- SCs, STs, और OBCs के लिए **आरक्षण** सुनिश्चित करना।
- स्थानीय निकायों को **वित्तीय शक्तियों और संसाधनों** की सिफारिश करना।
- स्थानीय चुनावों से संबंधित मामलों पर **राज्यपाल** को सलाह देना।

समस्याएं

- **देरी:** राज्य सरकारें अक्सर समय पर आवश्यक डेटा (जैसे, आरक्षण सूची) प्रदान न करके **विलंब** का कारण बनती हैं।
- **राजनीतिक प्रभाव:** SEC राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर निर्भर रहता है, जिससे निष्पक्षता पर चिंताएँ उठती हैं।
- **संसाधनों की कमी:** अपर्याप्त जनशक्ति और एक अस्पष्ट कानूनी ढाँचा कामकाज में बाधा डालता है।
- शहरी स्थानीय निकायों के **चुनावों में मतदान कम रहता है (~45-48%)**।
- **सीमित शक्तियां:** केवल 11 राज्यों में SEC के पास वार्ड परिसीमन की शक्ति है।

आगे की राह

- SECs को पर्याप्त धन, स्वतंत्र कर्मचारियों और अधिक स्वायत्तता के साथ सशक्त बनाएँ (SC, 2006 के फैसले के अनुसार)।
- राज्य चुनाव आयुक्त के लिए कॉलेजियम-आधारित नियुक्ति लागू करें (द्वितीय ARC द्वारा अनुशंसित)।
- ECI और SECs के बीच बेहतर समन्वय तंत्र स्थापित करें।
- निर्वाचन क्षेत्रों का 10-वर्षीय परिसीमन/समीक्षा अनिवार्य करें।
- स्थानीय चुनावों के लिए SVEEP जैसे लक्षित जागरूकता अभियान चलाएँ।

निष्कर्ष

73वें और 74वें संशोधनों के सही इरादे को साकार करने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए SECs को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

5.5 परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)

केंद्र ने दक्षिणी राज्यों को आश्वासन दिया है कि जनसंख्या परिवर्तन के कारण अनुचित प्रतिनिधित्व की चिंताओं के बीच, भविष्य के परिसीमन के दौरान लोकसभा की कोई भी सीट कम नहीं की जाएगी।

परिसीमन पर संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 82**: संसद प्रत्येक जनगणना के बाद **परिसीमन आयोग** गठित करने के लिए **परिसीमन अधिनियम पारित करती है** ।
- **अनुच्छेद 170**: राज्यों को नवीनतम जनगणना के आधार पर **प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।**

प्रमुख मुद्दे

- **उत्तर-दक्षिण विभाजन** :
  - दक्षिणी राज्यों को बेहतर शासन के बावजूद जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण के कारण सीटों के नुकसान का डर है।
  - यह नीतियों को उच्च-जनसंख्या वाले राज्यों के पक्ष में मोड़ सकता है, जिससे संघीय संतुलन प्रभावित हो सकता है।
- **वोट मूल्य असमानता**: उत्तर प्रदेश में एक सांसद लगभग 2.53 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि तमिलनाडु में लगभग 1.84 मिलियन - यह वोट का असमान भार है।

निष्कर्ष

निष्पक्षता और स्थिर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होना ज़रूरी है। उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय आम सहमति आवश्यक है।

5.6. चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI IN ELECTION CAMPAIGN)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने **चुनाव प्रचार में AI-जनित सामग्री** के राजनीतिक उपयोग को विनियमित करने के लिए एक एडवाइजरी (सलाह) जारी की है।

मुख्य दिशा-निर्देश

- **AI सामग्री को लेबल करें:** दलों और उम्मीदवारों को किसी भी AI-परिवर्तित छवियों, वीडियो, या ऑडियो को स्पष्ट रूप से टैग करना होगा।
- **प्रकटीकरण**: जहां कहीं भी सिंथेटिक सामग्री का उपयोग किया गया हो, वहां अस्वीकरण जोड़ें।
- **निगरानी**: दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर AI के दुरुपयोग की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

चुनावों में AI का प्रभाव

पहलू	सकारात्मक	नकारात्मक
मतदाता सहभागिता	चैटबॉट्स से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा जा सकता है	डीपफेक्स मतदाताओं को गुमराह कर सकते हैं
चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना	धोखाधड़ी का पता लगाना, साइबर सुरक्षा	तकनीकी विफलताएँ, साइबर हमले
डेटा और भविष्यवाणी	रणनीति, संसाधन आवंटन में मदद करता है	एल्गोरिदम के माध्यम से व्यवहार में हेरफेर
माइक्रोटार्गेटिंग	लक्षित संदेश	पक्षपातपूर्ण डेटा समूहों को बाहर कर सकता है
तकनीकी निर्भरता	प्रचार की दक्षता में वृद्धि	पारदर्शिता और गोपनीयता को नुकसान पहुँचा सकता है

आगे की राह

- चुनावों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर AI के प्रभाव का गहन अध्ययन करें।
- हानिकारक AI-जनित सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही लागू करें।
- हानिकारक सामग्री का पता लगाने और उसे फ़्लैग करने के लिए प्रभावी एल्गोरिथम फ़िल्टर बनाएँ।
- लोकतंत्र की रक्षा के लिए राजनीति में AI के उपयोग के लिए वैश्विक मानदंड और मानक विकसित करें।

निष्कर्ष

AI युग में स्वतंत्र, निष्पक्ष और जवाबदेह चुनाव सुनिश्चित करने के लिए **कानूनों को प्रौद्योगिकी के साथ-साथ विकसित होना चाहिए।**

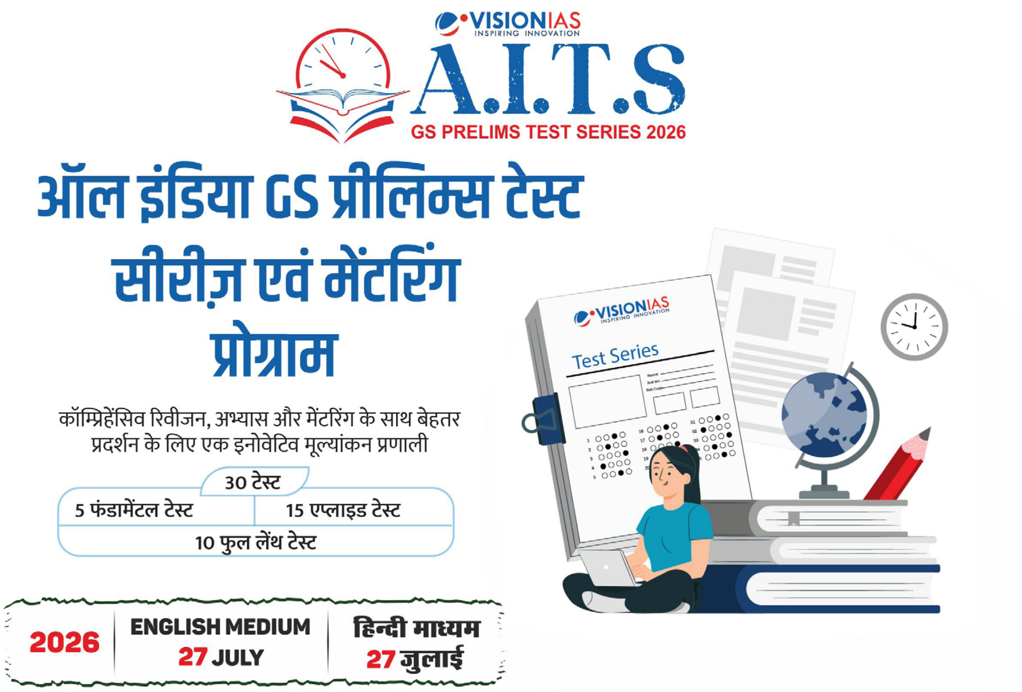

6. गवर्नेंस (GOVERNANCE)

6.1 मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi)

मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत क्षमता निर्माण आयोग (CBC) ने 3 वर्ष पूरे कर लिए।

मिशन कर्मयोगी के बारे में

- भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण।
- संघ सरकार के सभी सिविल सेवकों (अनुबंधित सहित) को कवर करता है।
- राज्य स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं।
- CBC विश्वसनीयता और एकरूप दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शक सिद्धांत

- नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण की ओर बदलाव।
- योग्यता-संचालित (व्यवहार, कौशल और ज्ञान (ASK) के संयोजन के रूप में वर्णित)।
- 70-20-10 मॉडल (70% जॉब्स, 20% सहयोग, 10% औपचारिक प्रशिक्षण)।
- संगठन एवं कैरियर लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा।
- निष्पक्ष, वस्तुपरक निष्पादन मूल्यांकन।
- आजीवन सीखने को बढ़ावा देना; अलगाव खत्म करना।

iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म

- ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल
- KPI के माध्यम से शिक्षार्थियों/पर्यवेक्षकों/सामग्री को ट्रैक करता है।
- अमृत ज्ञान कोष: 15 सतत विकास लक्ष्यों से संबद्ध सर्वोत्तम प्रथाएं।

महत्त्व

- व्यवहारिक, कार्यात्मक और डोमेन दक्षताओं को बढ़ाता है।
- राष्ट्रीय प्रशिक्षण को मानकीकृत करता है।
- प्रशिक्षण लागत में कटौती करता है।
- नैतिक आचरण को बढ़ावा देता है।
- आर्थिक विकास में सहायता करता है।
- नागरिक-केंद्रित, भूमिका-आधारित सेवा वितरण में सहायक है।

अन्य पहल

- सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (NSCSTI)
- **आरंभ (2019):** सामान्य आधार पाठ्यक्रम।
- राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति (1996, संशोधित 2012)।

चुनौतियां

- 1.5 करोड़ अधिकारियों को प्रशिक्षित करना चुनौतीपूर्ण है।
- अति-केंद्रीकृत मॉडल को राज्य प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
- नौकरशाही जड़ता।
- प्रशिक्षण क्षेत्रीय विविधता के अनुरूप नहीं है।

निष्कर्ष

प्रशिक्षण को लोकतांत्रिक और सरल बनाया गया है; इसकी सफलता विकसित रणनीति और राज्य सहयोग पर निर्भर करती है।

6.2 शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism)

केंद्रीय **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MoPPG&P)** ने लोक शिकायतों से निपटने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

- एकीकृत **CPGRAMS** एकल खिड़की शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।
- सभी मंत्रालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए।
- प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ।
- समय-सीमा 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दी गई।

शिकायत निवारण तंत्र (GRM) के बारे में

- **उद्देश्य** : सेवा विफलताओं या अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रभावशीलता को मापना।
- **नोडल एजेंसियां**: DARPG (MoPPG&P), और लोक शिकायत निदेशालय (कैबिनेट सचिवालय)।
- **CPGRAMS:** 24x7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लगभग 60 लाख शिकायतों का निवारण (2022-2024), 1.01 लाख अधिकारियों की पहचान।
- भूमिका-आधारित अधिकारी पहुंच के साथ सभी मंत्रालयों/विभागों/राज्यों से जुड़ा हुआ है।

शिकायत निवारण के लिए अन्य पहलें

- **संवैधानिक/ सांविधिक निकाय:** CVC, लोकायुक्त, NHRC, SHRC
- **GRAI:** GRM प्रदर्शन का आकलन और तुलना करता है।
- **PRAGATI/ प्रगति:** शिकायत एवं परियोजना निगरानी मंच।
- **ई- निवारण:** करदाताओं की शिकायतों के लिए CBDT की पहल।
- **नागरिक चार्टर:** सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है।

GRM से संबंधित मुद्दे

- समाधान में देरी, यहां तक कि 45 दिन के मानक से भी अधिक।
- अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और हेराफेरी।
- विभिन्न प्लेटफॉर्म्स एवं क्षेत्रों में एकीकरण का अभाव।
- डिजिटल विभाजन ग्रामीण पहुंच में बाधा डालता है।

आगे की राह

- **2ND ARC**:
  - एक स्वतंत्र राज्य स्तरीय प्राधिकरण गठन किया जाना चाहिए।
  - प्रणालीगत सुधार के लिए शिकायतों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
- **संसदीय स्थायी समिति (25वीं रिपोर्ट):**
  - सरल, सुलभ शिकायत प्रणालियाँ होनी चाहिए।
  - वैधानिक GRM RTI अधिनियम के समान है।
- स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत निवारण किया जाना चाहिए।
- प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और सुविधा काउंटर्स का उपयोग करना चाहिए।
- प्रदर्शन निगरानी और प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए AI, KPI और ऑडिट का उपयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष

एकीकरण, विकेंद्रीकरण और तकनीक के माध्यम से GRM को मजबूत करने से पहुंच, दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन में सुधार होगा।

6.3 सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री (Lateral Entry in Civil Services)

केंद्र में सचिव और संयुक्त सचिव के **45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिये भर्ती के लिए UPSC द्वारा जारी विज्ञापन को वापस** लिया गया।

लेटरल एंट्री को आरक्षण के दायरे से बाहर कैसे रखा गया है?

- "13-बिंदु रोस्टर" प्रणाली में अधिकतम 3 रिक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
- प्रत्येक विभाग के लिए अलग-अलग विज्ञापित 45 पद - एकल रिक्तियों के रूप में माने गए।
- सुप्रीम कोर्ट (2015, अखिलेश कुमार सिंह मामला): एकल पदों में आरक्षण अनुच्छेद 16(1) और 16(4) का उल्लंघन करता है।

लेटरल एंट्री के बारे में

- UPSC परीक्षा के बिना मध्य/ वरिष्ठ स्तर के सरकारी पदों के लिए बाहर से व्यक्तियों की भर्ती करती है।
- संविदागत, 3-5 वर्ष की अवधि के लिए, प्रदर्शन के आधार पर कार्यकाल का विस्तार किया जा सकता है।
- ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन में डायरेक्ट एंट्री और लेटरल एंट्री, दोनों तरीकों को अपनाया गया।

लेटरल एंट्री के लाभ

- **रिक्तियों को भरना**: DoPT की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के स्तर पर केवल 442 IAS अधिकारी काम कर रहे हैं, जबकि इनकी आवश्यक संख्या 1,469 है।
- बसवान समिति (2016) ने लेटरल एंट्री का समर्थन किया था।
- अर्थशास्त्र, AI आदि में डोमेन विशेषज्ञता लाता है।
- प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर कार्यकुशलता को बढ़ाता है।
- निजी क्षेत्रक से जुड़े मंत्रालयों (जैसे, नागरिक उड्डयन, पर्यावरण) को सहायता प्रदान करना।

लेटरल एंट्री से संबंधित मुद्दे

- अल्पकालिक फोकस (3-5 वर्ष)।
- सामाजिक न्याय को कमजोर करता है (आरक्षण का अभाव)।
- **हितों का टकराव:** लाभ बनाम लोक कल्याण।
- जवाबदेही से जुड़ी चिंताएं।
- जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अनुभव का अभाव है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप और पक्षपात का खतरा।

आगे की राह

- **लोक प्रशासन विश्वविद्यालय**: डोमेन और प्रबंधकीय कौशल विकसित करना चाहिए।
- सिविल सेवकों को सीखने के लिए निजी क्षेत्रक में प्रतिनियुक्ति की अनुमति दी जाए।
- मंत्रालयों को लक्ष्य-निर्धारण अपनाना होगा और मिशन कर्मयोगी का उपयोग करना होगा।
- **कैरियर नियोजन**: सामान्यज्ञ से शुरुआत की जाए, बाद में विशिष्ट डोमेन में विशेषज्ञता प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- डी. सुब्बाराव के अनुसार दो स्तरीय IAS प्रवेश (आयु 25-30 और 37-42) की सिफारिश की थी।

6.4 सुशासन में नागरिक भागीदारी (Citizen Participation in Good Governance)

MyGov प्लेटफॉर्म ने 10 वर्ष पूरे कर लिए।

MyGov प्लेटफॉर्म के बारे में

- प्रधानमंत्री द्वारा नागरिक सहभागिता मंच के रूप में इसका शुभारंभ किया गया।
- जनमत जुटाने के लिए सरकारी निकायों के साथ सहयोग करना।
- **लाइफ/ LiFE अभियान** : पर्यावरण और जलवायु के लिए संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
- **स्टे सेफ ऑनलाइन:** जी-20 प्रेसीडेंसी के तहत साइबर सुरक्षा पहल।
- **स्वच्छ भारत सर्वेक्षण**: स्वच्छ भारत के लिए जनता को शामिल करना।

नागरिक भागीदारी सुशासन में कैसे सहायक होती है

- **जवाबदेही**: RTI और फीडबैक से पारदर्शिता बढ़ती है।
- **सेवा वितरण**: नागरिक सुझाव कार्यान्वयन में सुधार करने में मदद करते हैं (उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत)।
- **समावेशिता:** हाशिए पर पड़े समूहों को शामिल करना (जैसे, मनरेगा ऑडिट)।
- **विश्वास** : सहभागी मंचों (जैसे, ग्राम सभा) के माध्यम से विश्वास का निर्माण होता है।
- **नवप्रवर्तन** : नागरिक समाधान में योगदान करते हैं (उदाहरण के लिए, मैसूरु प्लास्टिक टाइल्स)।

नागरिक भागीदारी में चुनौतियां

- **प्रतिबद्धता का अभाव**: समय/ संसाधन की सीमाओं के कारण कम निरंतर भागीदारी।
- **सीमित सहभागिता**: जटिल प्रक्रियाएं और कम जागरूकता।
- **प्रशासनिक अंतराल**: बड़े पैमाने पर फीडबैक का प्रबंधन करने में कठिनाई।
- **विश्वास का क्षरण**: फीडबैक की अनदेखी और भ्रष्टाचार।
- **सामाजिक बाधाएं**: पितृसत्ता और गरीबी सहभागिता में बाधा डालती हैं।

आगे की राह

- **सुगम्यता**: संरचित डेटा जारी करना, RTI अधिनियम को मजबूत बनाया जाना चाहिए।
- **जागरूकता**: **नागरिक शिक्षा** को शामिल करना चाहिए। अधिकार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म**: सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल उपकरण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।
- **समावेशी नीति-निर्माण**: विविध समुदायों की भागीदारी के साथ सार्वजनिक सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **शिकायत निवारण** : शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत और सुव्यवस्थित करना चाहिए।

6.5 गवर्नेंस और AI (Governance and AI)

केंद्रीय मंत्री ने निजता और डेटा स्वामित्व की सुरक्षा के साथ सुशासन के लिए AI के उपयोग की घोषणा की।

भारत में गवर्नेंस को नया रूप देने में AI की क्षमता

- **कुशल सेवा वितरण**: सेवाओं को स्वचालित करता है, कार्यभार कम करता है, गुणवत्ता में सुधार करता है।
- **शिक्षा**: व्यक्तिगत शिक्षण, स्मार्ट कंटेंट, NCERT मेटाडेटा।
- **स्वास्थ्य सेवा**: टेलीमेडिसिन और कैंसर डेटाबेस (नीति आयोग और DBT)।
- **कृषि**: राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के माध्यम से पूर्वानुमानात्मक अंतर्दृष्टि।
- **समावेशिता**: DPI में **भाषिणी** जैसे AI प्लेटफॉर्म भाषाई अंतराल को कम करते है।
- **डेटा-संचालित नीति**: शहरी डेटा एक्सचेंज योजना को बढ़ाता है।
- **न्यायिक दक्षता**: SUVAS अनुवाद उपकरण कानूनी कार्य में सहायता करता है।
- **आपदा प्रबंधन**: राहत/ RAHAT प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है।

गवर्नेंस के लिए AI को शामिल करने में चुनौतियां

- **बिखरा हुआ डेटा**: राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति अभी तक लागू नहीं की गई है।
- **बुनियादी ढांचे का अभाव**: 45% आबादी की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है।
- **विनियामक शून्यता**: भारत में यूरोपीय संघ AI अधिनियम जैसा कोई AI कानून नहीं है।
- **कौशल की कमी**: 1.4 लाख AI विशेषज्ञों की कमी।
- **गोपनीयता जोखिम**: डेटा उल्लंघन की उच्च संभावना।
- **कमजोर IP अधिकार**: IP सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है।
- **पूर्वाग्रह और नैतिकता**: विषम डेटासेट से भेदभावपूर्ण परिणाम।

आगे की राह

- **जोखिम एवं नैतिकता निरीक्षण** : मानवीय इनपुट के साथ निरंतर निगरानी की जानी चाहिए।
- **डेटा संप्रभुता** : निजता से जुड़े कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- **पूर्वाग्रह नियंत्रण** : विविध डेटासेट और नियमित ऑडिट का उपयोग करना चाहिए।
- **AI शिक्षा** : वंचित क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** : उदाहरण के लिए, INDIAai कंप्यूट क्षमता।
- **साइबर सुरक्षा** : खतरे की निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए AI का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

AI में सेवा-वितरण, पारदर्शिता और नागरिक संपर्क को बढ़ाकर गवर्नेंस में क्रांति लाने की अपार क्षमता है। हालांकि, इस तकनीक का उपयोग नैतिक सिद्धांतों, डेटा संरक्षण पर मजबूत कानूनों और समावेशी डिजिटल अवसंरचना द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

6.6 बिग टेक कंपनियों का विनियमन (Regulating Big Tech)

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति की रिपोर्ट पर जनता से फीडबैक माँगा है।

बड़ी टेक कंपनियों को विनियमन की आवश्यकता क्यों है?

- **संप्रभुता को खतरा**: यूजर डेटा का दुरुपयोग और बाहरी देशों में इसका निर्यात।
- **नेटवर्क प्रभाव**: यूजर्स की अधिक संख्या से उनका प्रभुत्व बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा अवरुद्ध होती है।
- **राजस्व हानि**: कर दुरुपयोग के कारण प्रतिवर्ष 10 बिलियन डॉलर का नुकसान।
- **डेटा गोपनीयता जोखिम**: निगरानी और डेटा उल्लंघन के जोखिम।
- **नैतिक चिंताएं** : पारदर्शिता का अभाव, डिजिटल विभाजन, सार्वजनिक हित पर लाभ।

बिग टेक को विनियमित करने में चुनौतियां

- **विनियामक शून्यता**: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक्स-पोस्ट मॉडल।
- **विलंबित प्रवर्तन** : DPDPA 2025 अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ है।
- **खंडित कानून** : वैश्विक कंपनियों को असंगत नियमों का सामना करना पड़ता है।
- **टेक्नो-राष्ट्रवाद** : घरेलू कंपनियों के प्रति पूर्वाग्रह निष्पक्षता को प्रभावित करता है।
- **कानूनी अस्पष्टता** : मध्यस्थ नियमों को निजता पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

बिग टेक को विनियमित करने के लिए प्रमुख कानून

- **भारत**: DPDPA, 2023; IT नियम, 2021; **महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ (SSMI)** ; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

आगे की राह- समिति की सिफारिशें

- **पूर्व-विनियमन की आवश्यकता**: एक डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून बनाया जाना चाहिए।
- **SSDE**: शीघ्र विनियमन के लिए प्रमुख डिजिटल सेवाएं (सर्च, OS, आदि) प्रदान करने वाली फर्मों की पहचान करनी चाहिए।
- **दायित्व**: SSDEs को स्व-प्राथमिकता, ऐप ब्लॉकिंग, सेवाओं को अपनाने के लिए बाध्य करने या यूजर डेटा के दुरुपयोग से बचना चाहिए।
- **दंड**: उल्लंघन करने पर SSDEs के वैश्विक कारोबार के 10% तक जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
- CCI की तकनीकी शाखा और महानिदेशक कार्यालय को मजबूत किया जाएगा; तेजी से निपटान के लिए NCLAT की अलग पीठ बनाई जाएगी।

निष्कर्ष

बड़ी टेक कंपनियों की अनियंत्रित शक्ति प्रतिस्पर्धा, नवाचार और स्वतंत्र विकल्पों को प्रभावित करती है। डिजिटल निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए समय पर विनियमन आवश्यक है।

6.7 नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality)

अमेरिकी अपीलीय न्यायालय ने FCC द्वारा नेट न्यूट्रैलिटी लागू करने के प्रयासों के खिलाफ फैसला सुनाया। यह अमेरिका और भारत में नेट न्यूट्रैलिटी के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है।

नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में तर्क

- **उपयोगकर्ता अधिकार**: यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समान पहुंच सुनिश्चित करता है।
- **निजता**: ISPs को ट्रैफिक में हेरफेर या निगरानी से रोकता है।
- **नवप्रवर्तन**: तकनीकी दिग्गजों के मुकाबले स्टार्टअप्स के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है।

नेट न्यूट्रैलिटी के विरुद्ध तर्क

- **ISPs राजस्व की हानि**: बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन कम हो जाता है।
- **विनियामक असंतुलन**: दूरसंचार प्रदाताओं को समान सेवाओं के लिए उच्च लागत देनी पड़ती है।
- **चयनात्मक OTT प्रतिबंध** : महत्वपूर्ण सेवाओं की सुरक्षा के लिए अशांत क्षेत्रों में प्रतिबंध आवश्यक है।

भारत में नेट न्यूट्रैलिटी फ्रेमवर्क

- दूरसंचार विभाग ने 2018 में विनियामक फ्रेमवर्क अधिसूचित किया।
- ISPs द्वारा कंटेंट के प्रति गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार के सिद्धांतों को शामिल किया गया।
- कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN), IoT और विशिष्ट सेवाओं के लिए अपवाद की अनुमति देता है।

6.8 इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown)

सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के अनुसार, भारत में 2024 में 60 बार मोबाइल इंटरनेट शटडाउन हुआ। यह आंकड़ा पिछले 8 वर्षों में सबसे कम है।

भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान

- **CrPC, 1973**: धारा 144 (अब धारा 163 BNSS) ने मजिस्ट्रेटों को प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी।
- **दूरसंचार अधिनियम, 2023**: कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा (प्राकृतिक आपदाओं के लिए नहीं) के लिए अस्थायी निलंबन की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 19(2)**: सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा आदि के लिए स्वतंत्र भाषण पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

इंटरनेट बंद करने के पक्ष में तर्क

- **सुरक्षा**: अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद पर अंकुश।
- **सांप्रदायिक झड़पें**: 2023 में मणिपुर, हरियाणा शटडाउन।
- **गलत खबर**: 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान दुष्प्रचार या फर्जी खबरों के प्रसारण को रोकने में मदद मिली।
- **कानून और व्यवस्था**: CAA, कृषि विरोध प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किया गया।
- **प्रतियोगी परीक्षा की सत्यनिष्ठा**: राजस्थान REET परीक्षा में इंटरनेट शटडाउन।

इंटरनेट बंद करने के खिलाफ तर्क

- **आर्थिक नुकसान**: 2023 की पहली छमाही में 1.9 बिलियन डॉलर से अधिक की हानि; निवेश पर असर।
- **व्यापार का अधिकार**: डिजिटल व्यवसायों को नुकसान पहुंचाता है (अनुच्छेद 19(1)(g))।
- **मानवाधिकार**: महिलाएं अपराधों की रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं।
- **भाषण एवं सूचना तक पहुंच**: अनुच्छेद 19 के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- **प्रेस स्वतंत्रता**: जम्मू -कश्मीर मीडिया ब्लैकआउट (2019)
- **शिक्षा/स्वास्थ्य**: शिक्षण एवं टेलीमेडिसिन में बाधा उत्पन्न होती है।

इंटरनेट स्वतंत्रता पर न्यायिक निर्णय

- **फहीमा शिरीन बनाम केरल**: केरल उच्च न्यायालय ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया (अनुच्छेद 21)।
- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ**: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत इंटरनेट की स्वतंत्रता को बरकरार रखा।

संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें (2021)

- **वैश्विक प्रथाएँ** : दूरसंचार विभाग द्वारा लोकतांत्रिक देशों में शटडाउन मानदंडों का अध्ययन किया जाना चाहिए।
- **मानदंडों को संहिताबद्ध करना**: कानूनी आधार और तंत्र को परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- **आनुपातिकता**: शटडाउन हटाने की प्रक्रिया और नियम निर्धारित करने चाहिए।
- **समीक्षा पैनल**: समीक्षा समिति में न्यायाधीशों और लोक प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।
- **चयनात्मक प्रतिबंध**: चयनित प्रतिबंधों के लिए नीति तैयार करनी चाहिए।
- **प्रभाव आकलन**: गृह मंत्रालय/दूरसंचार विभाग शटडाउन के प्रभावों का अध्ययन करेगा।

6.9 ऑनलाइन गलत सूचना (Online misinformation)

संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑनलाइन गलत सूचना, दुष्प्रचार और हेट स्पीच के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक सिद्धांत "ग्लोबल प्रिंसिपल्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी: रेकमेंडेशन्स फॉर मल्टी-स्टेकहोल्डर एक्शन" जारी किए हैं।

ऑनलाइन गलत सूचना के नकारात्मक प्रभाव

- **अपारदर्शी एल्गोरिदम**: यह बहुत अधिक सूचनाओं को उत्पन्न करता है और नस्लवाद, भेदभाव, महिलाओं से द्वेष जैसे कई पूर्वाग्रहों को मजबूत करता है।
- **लोकतंत्र के लिए खतरा**: मतदाताओं को गुमराह करना, चुनावों को विकृत करना, संस्थागत विश्वास को खत्म करना।
- **सतत विकास लक्ष्य में बाधा**: ग्रीनवाशिंग, गलत सूचना के कारण जलवायु कार्रवाई में बाधा।
- **आर्थिक क्षति**: घबराहट, अस्थिरता और वित्तीय हानि को बढ़ावा देता है।

ऑनलाइन गलत सूचना से निपटने में चुनौतियां

- **प्लेटफ़ॉर्म की गति**: तीव्र डिजिटल प्रसार से फैक्ट-चेकिंग में बाधा आती है।
- **तथ्य-जांचकर्ता से दूर**: उपयोगकर्ता सुधार या खंडन नहीं देख सकते हैं।
- **एन्क्रिप्शन**: एन्क्रिप्टेड ऐप्स कंटेंट निगरानी को सीमित करते हैं।
- **बुजुर्गों की संवेदनशीलता**: 65+ आयु वर्ग के लोग युवाओं की तुलना में 3-4 गुना अधिक गलत खबरें साझा करते हैं।
- **वायरल प्रारूप**: मीम्स और वीडियो अत्यधिक आकर्षक और भ्रामक होते हैं।

आगे की राह: सूचना अखंडता के लिए संयुक्त राष्ट्र के 5 वैश्विक सिद्धांत

- **सामाजिक विश्वास एवं लचीलापन**: समावेशी डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा हाशिए पर पड़ी आवाजों की रक्षा करना।
- **स्वस्थ प्रोत्साहन**: ऐसे व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना जो व्यवहार-ट्रैकिंग विज्ञापनों पर आधारित न हों।
- **सार्वजनिक सशक्तिकरण**: डिजिटल साक्षरता, उपयोगकर्ता की आवाज और अंतर-संचालनशीलता को बढ़ावा देना।
- **स्वतंत्र एवं बहुल मीडिया** : प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकार सुरक्षा को बनाए रखना।
- **पारदर्शिता और अनुसंधान** : शोधकर्ताओं की पहुंच, मंच का खुलापन और नागरिक समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

6.10 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता (Obscenity on Digital Platforms)

सुप्रीम कोर्ट ने "इंडियाज गॉट लैटेंट" नामक यूट्यूब शो में अश्लील टिप्पणियों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल से अनुरोध किया कि वे ऑनलाइन दिखाए जाने वाले भद्दे कंटेंट पर नियंत्रण के लिए संतुलित विनियामक उपाय प्रस्तुत करें, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संतुलन बना रहे।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता को विनियमित करने की आवश्यकता

- **मूल्यों का संरक्षण** : अश्लील सामग्री नैतिकता और सामाजिक समरसता को नष्ट करती है। उदाहरण के लिए, बुल्ली बाई ऐप घटना (2021)।
- **गरिमा की रक्षा**: काण्टीय नैतिकता - लोगों को कभी भी मात्र साधन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
- **सामान्यीकरण से बचना**: मिल का हानि सिद्धांत- स्वतंत्रता से समाज को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए।
- **प्लेटफॉर्म्स की नैतिक जिम्मेदारी:** डिजिटल मीडिया को मुक्त भाषण और कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।
- **संवैधानिक नैतिकता**: अनुच्छेद 19(2) मुक्त भाषण पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

अश्लीलता पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी ढांचा

- **BNS एवं IT अधिनियम** : अश्लील सामग्री के वितरण पर रोक लगाते है।
- **IT नियम, 2021**: नग्नता, दुर्व्यवहार, सेक्स आदि वाली सामग्री के लिए आयु-रेटिंग अनिवार्य बनाते है।
- **अन्य कानून** : सिनेमैटोग्राफ अधिनियम (1952), केबल टीवी अधिनियम (1995), महिलाओं का अशिष्ट चित्रण अधिनियम (1986)।

अश्लीलता पर न्यायिक निर्णय

- **रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1964) वाद** में, सुप्रीम कोर्ट ने **हिकलिन टेस्ट** लागू किया। इसके अनुसार "भ्रष्ट करने और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति" वाली किसी भी कंटेंट को अश्लील माना जाता है।
- **अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014) वाद** में, न्यायालय ने सामुदायिक मानक परीक्षण की ओर रुख किया। इसमें प्रचलित सामाजिक और नैतिक मानदंडों के आधार पर अश्लीलता का मूल्यांकन किया गया।

आगे की राह

- **न्याय एवं निष्पक्षता**: पूर्वाग्रह से बचने के लिए स्पष्ट, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील अश्लीलता मानदंडों को परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- **जवाबदेही**: OTT/ डिजिटल मीडिया को विनियमित करने के लिए प्रसारण विधेयक लागू किया जाना चाहिए।
- **एथिकल कंटेंट**: आत्म-नियमन और सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले कंटेंट को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **सशक्तिकरण** : नैतिक दृष्टिकोण और मीडिया जागरूकता के लिए डिजिटल साक्षरता का शुभारंभ किया जाना चाहिए।

6.11 पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण (Eco-centric Approach)

सुप्रीम कोर्ट ने यह उल्लेख किया है, कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय-निर्णय के क्षेत्र में भारत पहला देश है जिसने **मानव-केंद्रित दृष्टिकोण** से हटकर **पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण** अपनाया है।

पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में

- **प्रकृति-केन्द्रित** : पारिस्थितिकी तंत्र को उसके **आंतरिक मूल्य के आधार पर महत्व देता है**, न कि केवल मानव लाभ के लिए।
- **मानव केन्द्रितवाद का विरोध** : इस दृष्टिकोण का खंडन करता है कि प्रकृति केवल **मानव उपयोग के लिए है**।
- **गहन पारिस्थितिकी समर्थन**: अर्ने नेस द्वारा समर्थित, **प्रकृति के अंतर्निहित मूल्य** का समर्थन करता है।
- **हित सिद्धांत :** मानवीय चिंताओं से परे प्रकृति के **स्वतंत्र हितों को मान्यता देता है।**

पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण के प्रमुख चालक

- **संवैधानिक प्रावधान**: अनुच्छेद 21 (जीवन), अनुच्छेद 48A (राज्य कर्तव्य), अनुच्छेद 51A(g) (नागरिक कर्तव्य)।
- **विधान**: PCA अधिनियम (1960), वन्यजीव अधिनियम (1972)।
- **न्यायिक सक्रियता**: सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरणीय अधिकारों का विस्तार करने के लिए अनुच्छेद 32 और 142 का उपयोग किया।
- **सांस्कृतिक लोकाचार : भारतीय संस्कृति प्रकृति को पवित्र और जीवंत** मानती है, अधीनस्थ नहीं।

पर्यावरणीय संवैधानिकता पर न्यायिक निर्णय

- **MK रंजीत सिंह बनाम भारत संघ (2024)**: अनुच्छेद 14 और 21 के तहत **जलवायु परिवर्तन मुक्त जीवन को मान्यता दी गई।**
- **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986)**: प्रदूषण मुक्त पर्यावरण **जीवन के अधिकार का हिस्सा है** (अनुच्छेद 21)।
- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)**: रोग/ संक्रमण मुक्त वातावरण **अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है**।

6.12 गैर-सरकारी संगठन (Non-Governmental Organizations: NGO)

गृह मंत्रालय ने **FCRA, 2010** के तहत पंजीकृत सभी **गैर-सरकारी संगठनों (NGOs)** को अपने **प्रमुख पदाधिकारियों और सदस्यों में किसी भी बदलाव की सूचना देने का निर्देश** दिया है।

गैर सरकारी संगठनों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **सातवीं अनुसूची**: ट्रस्ट/ धमर्थि संस्थाएं समवर्ती सूची में हैं। इन पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
- **अनुच्छेद 19(1)(c) :** संघ या यूनियन बनाने का अधिकार।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

- **गवर्नेंस:** लोकतंत्र को मजबूत करता है (ADR), सरकार का समर्थन करता है। योजनाएं (पीएम पोषण के लिए अक्षय पात्र)।
- **सामाजिक सुधार** : मानवाधिकार (बचपन बचाओ आंदोलन), महिला अधिकार (सेवा), गरीबी उन्मूलन (गूंज)।
- **मानव विकास**: शिक्षा (प्रथम), स्वास्थ्य (टीबी, HIV के लिए MSF)।
- **अनुसंधान**: उदाहरणार्थ- ऑक्सफैम।
- **सांस्कृतिक/पर्यावरण** : इनटैक, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट।

गैर सरकारी संगठनों के लिए सरकारी सहायता

- स्वाधार, उज्ज्वला, सांस्कृतिक अनुदान जैसी योजनाओं के माध्यम से धन।
- विशिष्ट NGO पहचान के लिए दर्पण पोर्टल।

चुनौतियां / मुद्दे

- **कार्यात्मक**: दाता-संचालित एजेंडा, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में हस्तक्षेप (जैसे, कुडनकुलम), सुरक्षा चिंताएं।
- **विनियामक**: FCRA प्रतिबंध, वित्तीय दुरुपयोग का जोखिम।
- **परिचालन**: दानदाताओं पर निर्भरता, स्वयंसेवकों की कमी, तकनीकी चुनौतियां।

सुधार के लिए सिफारिशें

- **विजय कुमार समिति (2017)**: प्रकाश विनियमन, आधुनिक पंजीकरण, नोडल निरीक्षण निकाय, NGO डेटाबेस, स्वयंसेवा को बढ़ावा देना।
- **2nd ARC:** FCRA का विकेंद्रीकरण, कानूनों की संतुलित व्याख्या।

6.13 भारत में विज्ञापन विनियमन (Advertisement Regulation in India)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण और BCCI से खिलाड़ियों द्वारा तंबाकू/ शराब के छद्म विज्ञापनों पर रोक लगाने को कहा है।

कानूनी ढांचा

- **केबल टीवी अधिनियम, 1995 एवं COTPA, 2003** : प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष शराब/तंबाकू विज्ञापनों पर प्रतिबंध।
- **CCPA दिशा-निर्देश (2022)**: सरोगेट विज्ञापनों की पहली औपचारिक परिभाषा।
- **ASCI कोड**: आनुपातिकता जांच के साथ 'जेन्युइन ब्रांड एक्सटेंशन' की अनुमति देता है।
- **औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम (1954)**: 'चमत्कारी इलाज' विज्ञापनों पर प्रतिबंध।
- **सेबी (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013** : फिनफ्लुएंसर्स और सशुल्क वित्तीय सलाह को नियंत्रित करता है।

न्यायिक निर्णय

- **IMA बनाम भारत संघ (2024) :** सभी विज्ञापनों के लिए स्व-घोषणा प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।
- **टीवी टुडे नेटवर्क बनाम UOI (2021) :** शराब की नकल करने वाला सोडा विज्ञापन सरोगेट विज्ञापन के समान है।

सरोगेट विज्ञापन के निहितार्थ

- **उपभोक्ता**: युवाओं/ गरीबों को गुमराह करता है, विकल्पों को प्रभावित करता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य**: 2023 क्रिकेट विश्व कप के दौरान 41.3% विज्ञापन धूम्ररहित तम्बाकू थे (ICMR)।
- **कंपनियां**: ब्रांड दृश्यता के माध्यम से अनैतिक बिक्री को बढ़ावा देती हैं।
- **राजस्व**: ₹60 लाख/10-सेकंड विज्ञापन से BCCI जैसे प्लेटफॉर्म को लाभ।
- **नज थ्योरी**: सेलिब्रिटी संकेत उपभोग के लिए अप्रत्यक्ष धक्का पैदा करते हैं।

विनियमन में मुद्दे

- **विधायी खामियां**: अस्पष्ट नियमों के कारण ब्रांड का दुरुपयोग होता है।
- **आर्थिक प्रभाव**: राजस्व/रोजगार की शराब/तम्बाकू पर निर्भरता।
- **अनैतिक व्यवहार**: मूल्य में कटौती से हानिकारक उपभोग बढ़ता है।
- **नरम दंड** : सुधारात्मक विज्ञापन निवारक के रूप में विफल हो जाते हैं।

आगे की राह

- **ASCI/ सरकार के सुझाव**: प्रतिबंधित उत्पादों से ब्रांड एक्सटेंशन में अंतर किया जाना चाहिए; अप्रत्यक्ष संदर्भों से बचना चाहिए।
- **कानूनों को मजबूत करना**: COTPA/ ASCI के तहत स्पष्ट सरोगेट प्रतिबंध; डिजिटल/ खेल मीडिया को विनियमित किया जाना चाहिए।
- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** भारी जुर्माना लगाएं; मीडिया को जिम्मेदार ठहराए।
- **विनियामक निरीक्षण**: ऑडिट, रियल टाइम निगरानी, प्रवर्तन का उपयोग करने की आवश्यकता है।
- **जागरूकता अभियान** : नागरिकों को शिक्षित करने के लिए IEC प्रयास किए जाने चाहिए।

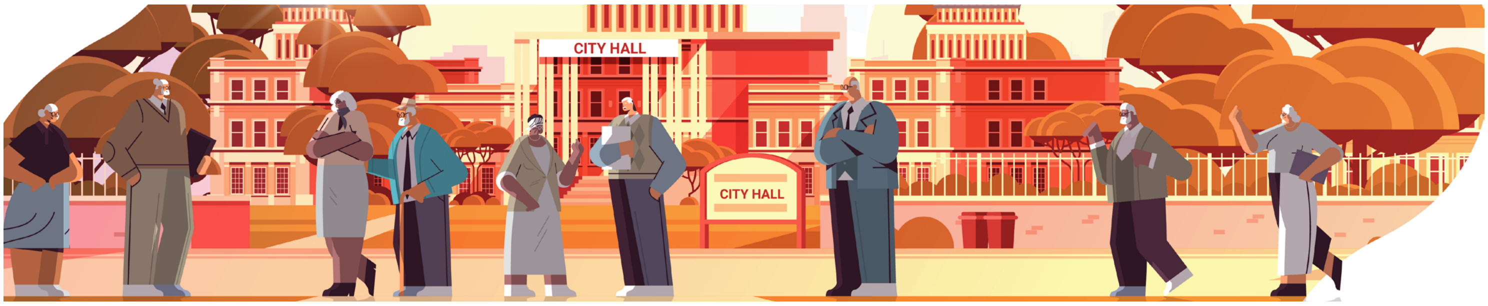

6.14 ऑनलाइन बेटिंग और गैंबलिंग क्षेत्रक (Online Betting and Gambling Sectors)

कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन गैंबलिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के लिए एक समिति गठित की है। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी रोकना और वैध गेमिंग क्षेत्रक को समर्थन प्रदान करना है।

ऑनलाइन सट्टेबाजी को विनियमित करने की आवश्यकता

- **बेहतर प्रवर्तन**: कानूनी विनियमन निगरानी में सुधार करता है (विधि आयोग की 276वीं रिपोर्ट)।
- **मैच फिक्सिंग पर अंकुश**: लोढ़ा समिति ने अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए विनियमन की सिफारिश की।
- **काले धन पर नियंत्रण**: फिक्की का अनुमान है कि इससे 12,000-19,000 करोड़ रुपये का संभावित कर राजस्व प्राप्त होगा।
- **मानसिक स्वास्थ्य**: आसान पहुंच से लत लग जाती है, खासकर युवाओं में।

ऑनलाइन सट्टेबाजी को विनियमित करने में चिंताएं

- **कौशल के खेल तर्क**: खेल सट्टेबाजी, घुड़दौड़ के समान है, जिसे कानून के तहत अनुमति दी गई है।
- **सुप्रीम कोर्ट का फैसला**: RMD चमारबागवाला बनाम UOI (1957)- कौशल-आधारित गतिविधियां वाणिज्यिक हैं और **अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संरक्षित हैं**।
- **संघीय तनाव**: जुआ एक **राज्य विषय है**; केंद्रीय विनियमन संघवाद का उल्लंघन कर सकता है।
- **पर्यटन संबंधी चिंताएं**: गोवा जैसे राज्य पर्यटन के लिए जुए को बढ़ावा देते हैं, जबकि स्थानीय लोगों पर प्रतिबंध है।

मौजूदा नियामक ढांचा

- **IT नियम 2021**: MeitY- मान्यता प्राप्त स्व-नियामक निकाय ऑनलाइन रियल-मनी गेम्स का सत्यापन करते हैं।
- **आईटी नियम संशोधन 2023**: अनिवार्य गेम सत्यापन, पंजीकरण, गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौते का खुलासा।
- **राज्य कानून**: असम (असम गेमिंग और सट्टेबाजी अधिनियम, 1970); गोवा (गोवा, दमन और दीव सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1976)।

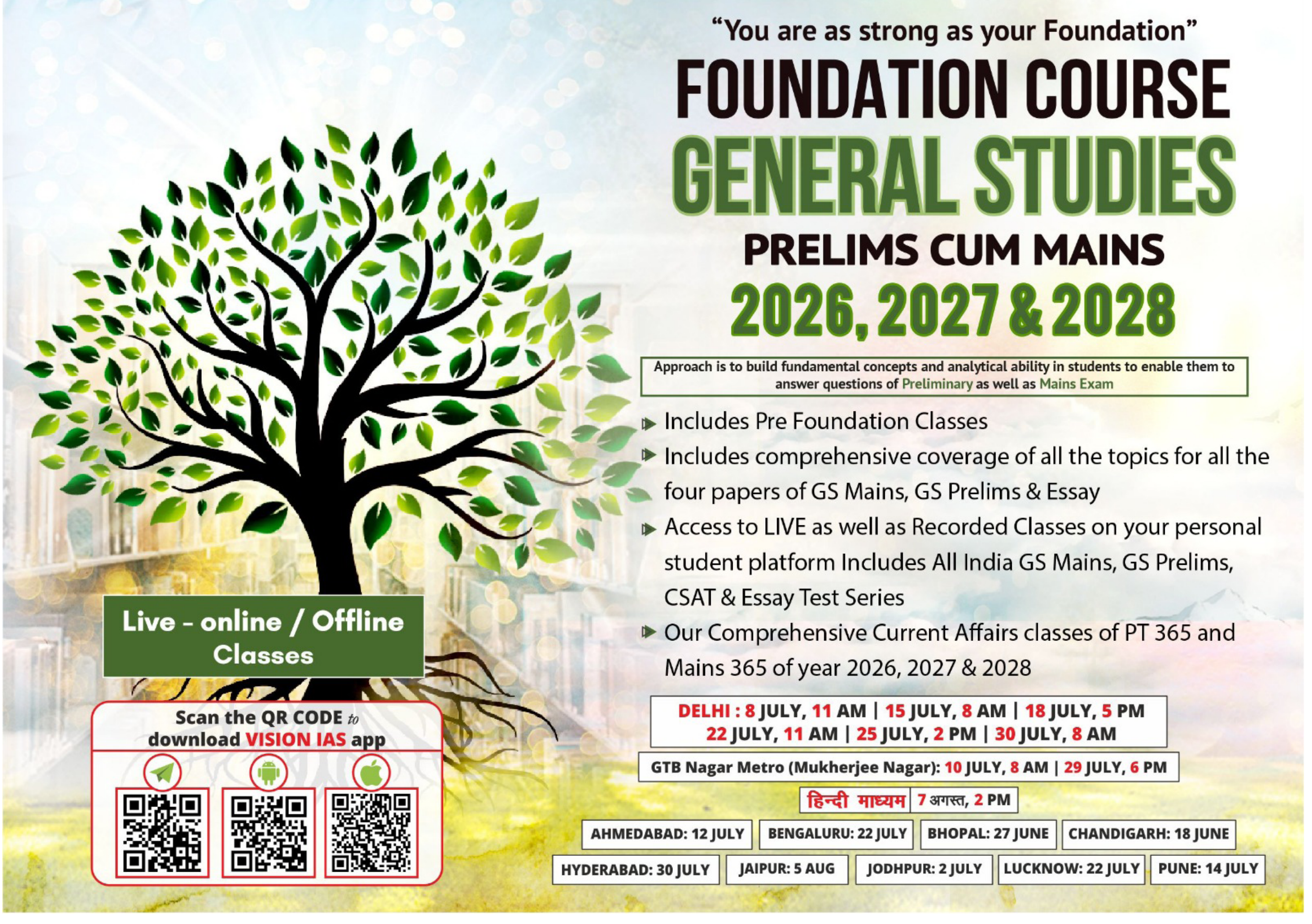

7. स्थानीय शासन (LOCAL GOVERNANCE)

7.1 राज्यों में पंचायतों को अंतरण या हस्तांतरण की स्थिति (Status of Devolution to Panchayats in States)

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने **"राज्यों में पंचायतों को (फंड) अंतरण की स्थिति- सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- पंचायत हस्तांतरण सूचकांक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 6 आयामों पर रैंक करता है।
- हस्तांतरण 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया (2013-14 से 2021-22 तक)।
- RGSA के कारण क्षमता वृद्धि 44% से बढ़कर 54.6% हो गई।

हस्तांतरण का महत्व

- सेवा वितरण में सुधार करता है.
- 73वें संशोधन के मूल उद्देश्य को पूरा करता है।
- जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।
- पंचायती राज संस्थाओं की राजकोषीय क्षमता में वृद्धि करता है।

हस्तांतरण पर प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 243G:** पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में सशक्त बनाता है।
- **अनुच्छेद 243H**: पंचायतों को कर/शुल्क लगाने की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 243I**: प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य करता है।
- **अनुच्छेद 243ZD:** जिला योजना समिति स्थानीय योजनाओं को एकीकृत करता है।

पंचायत के हस्तांतरण से संबंधित चुनौतियां

- **रूपरेखा**: अनियमित चुनाव और परिसीमन में देरी अनुच्छेद 243E का उल्लंघन है।
- **कार्य**: हस्तांतरण सूचकांक 43.89%; अर्ध-सरकारी निकाय हावी हैं।
- **वित्त**: 95% PRI निधि अनुदान से; अनियमित SFC
- **पदाधिकारी**: 17 ग्राम पंचायतों के लिए एक सचिव।
- **क्षमता**: खराब बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण; 40,000 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर का अभाव।
- **जवाबदेही**: कम जागरुकता, भ्रष्टाचार; कृष्णा जिले में 70% पंचायती राज संस्थाओं ने धन का दुरुपयोग किया।

रिपोर्ट के अनुसार सिफारिशें

- राज्य चुनाव आयोगों को मजबूत करने; मतदाता सूचियों को एकीकृत और अपडेट किया जाना चाहिए।
- आरक्षित सीटों को 2-3 कार्यकाल के लिए स्थिर कर देना चाहिए; नेतृत्व निरंतरता के लिए कार्यकाल विस्तार की अनुमति दी जानी चाहिए।
- CSS में PRIs को सशक्त बनाना चाहिए; ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों को पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए।
- समय पर SFC का गठन करे.; PRIs वित्तपोषण में विविधता लानी चाहिए।
- सभी वित्तीय गतिविधियों के लिए ऑडिट सुनिश्चित करें, PFMA अपनाएं।
- स्टाफिंग नियंत्रण की अनुमति दी जाए; स्थानीय सरकार सेवा आयोग की स्थापना की जाए।
- PRIs सदस्यों को गवर्नेंस, वित्त और प्रबंधन में प्रशिक्षित करना चाहिए।

7.2 स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा (Auditing of Local Bodies)

हाल ही में, **गुजरात के राजकोट में "स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र** का उद्घाटन किया गया।

स्थानीय स्वशासन और लेखा परीक्षा के बारे में

- **ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन (2020):** पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत खातों की ऑनलाइन ऑडिटिंग के लिए विकसित किया गया।
- **CAG का अधिदेश:** 1971 के अधिनियम के तहत, CAG पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों का लेखा-परीक्षण करता है।
- निधि उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षण का महत्व

- **वित्तीय जवाबदेही**
- **प्रदर्शन मूल्यांकन**
- **सेवा वितरण**
- **लोकतांत्रिक भागीदारी**
- **लोगों का विश्वास**
- **विकेन्द्रीकरण**

स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा से जुड़े मुद्दे

- खराब रिकॉर्ड रखरखाव; राज्यों में असंगत प्रारूप।
- कुशल लेखा परीक्षा पेशेवरों की कमी।
- राज्य और केंद्रीय लेखा परीक्षा निकायों के बीच अधिकार-क्षेत्र का ओवरलैप होना।
- पुराना लेखा-परीक्षण प्रारूप; विस्तारित PRIs भूमिकाओं की उपेक्षा करना।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के बारे में जनता में कम जागरूकता।

आगे की राह (2nd ARC)

- सरलीकृत एवं उपयोगकर्ता अनुकूल लेखापरीक्षा प्रारूप विकसित करना चाहिए।
- DLFA की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए; CAG-अनुमोदित पैनल से प्रमुख की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- राज्य विधानमंडलों में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए; PAC जैसी समितियों के माध्यम से चर्चा करनी चाहिए।
- कानूनी प्रावधानों के माध्यम से रिकार्ड्स तक पहुंच को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
- लेखापरीक्षा/ लेखा कार्यों के लिए स्थानीय निकाय की क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है।

7.3 जन योजना अभियान (Jan Yojana Abhiyan)

पंचायती राज मंत्रालय ने 2025-26 के लिए **पंचायत विकास योजनाओं (PDP)** की तैयारी हेतु **जन योजना अभियान शुरू किया।**

विशेषताएं

- **संरचित सभाएँ :** 'संपूर्ण सरकार और समाज' दृष्टिकोण।
- **PDI आधारित योजना:** ग्राम सभा-वार कैलेंडर और पंचायत विकास सूचकांक (PDI) का उपयोग करके विषयगत अंतराल की पहचान करना।
- **समावेशी भागीदारी**
- **डिजिटल पारदर्शिता:** अनुमोदित GPDP के प्रकाशन के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल।

भागीदारी के प्रकार

- **अधिकार के रूप में:** कानूनी अधिकार (जैसे, मतदान)।
- **एक प्रक्रिया के रूप में:** सहभागी उपकरण (जैसे, मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण)।
- **लक्ष्य:** सशक्तिकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता (जैसे, सकारात्मक कार्रवाई)।

जन भागीदारी में चुनौतियां

- पर्याप्त धन एवं प्रशासनिक क्षमता का अभाव।
- योजनाओं में गैर-अनिवार्य भागीदारी।
- जटिल नौकरशाही भागीदारी को हतोत्साहित करती है।
- भागीदारी के लिए कोई प्रत्यक्ष नागरिक प्रोत्साहन नहीं है।
- संरक्षक-ग्राहक मानसिकता सक्रिय भागीदारी को प्रतिबंधित करती है।

विकास योजना में जन भागीदारी का महत्व

- **दक्षता:** मनरेगा- ग्राम सभा समीक्षा और MIS ट्रैकिंग।
- **समावेशिता:** MyGov साथी 2.0- जन-जन से प्राप्त विचार।
- **आत्मनिर्भरता:** NRLM के स्वयं सहायता समूह स्थानीय समूहों को सशक्त बनाते हैं।
- **व्यापक कवरेज:** स्वच्छ भारत- सामुदायिक स्वयंसेवक।
- **स्थिरता:** संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) मॉडल।
- **बेहतर डिजाइन:** स्थानीय ज्ञान और आवश्यकताओं का लाभ उठाता है।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

8. महत्वपूर्ण संवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी निकाय (IMPORTANT CONSTITUTIONAL, STATUTORY AND EXECUTIVE BODIES)

8.1. नीति आयोग के 10 वर्ष (10 Years Of Niti Aayog)

1 जनवरी, 2025 को नीति आयोग अपनी **स्थापना का 10वां वर्ष मनाएगा**।

नीति आयोग की उपलब्धियां

योजना

- **पंचवर्षीय योजनाओं का अंत**
- **सहकारी संघवाद:** टीम इंडिया हब और आकांक्षी जिलों (112) के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के लक्ष्यों का समन्वय करता है।
- **अलग-अलग क्षेत्रकों में सुधार:** जैसे, जीरो बजट फार्मिंग, ग्राम स्तरीय अनाज भंडारण आदि।

कार्यान्वयन

- **सुविधाकर्ता की भूमिका:** उदाहरण के लिए, नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट, पोषण अभियान।
- **नवाचार और डिजिटल प्रोत्साहन:** अटल लैब्स, अटल इन्क्यूबेशन सेंटर, डिजिटल भुगतान अभियान।
- **व्यापार करने में आसानी:** सरलीकृत प्रक्रियाएं, AI रणनीति को बढ़ावा देना और फिनटेक समिट का आयोजन करना।

मूल्यांकन

- **जवाबदेही के लिए निगरानी:** DMEO (विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय) के माध्यम से।
- **आकांक्षी जिलों की निगरानी:** अंतर-जिला प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 49 संकेतकों के आधार पर उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।
- **प्रतिस्पर्धी संघवाद:** सतत विकास लक्ष्य (SDG) प्रदर्शन, जल, ऊर्जा और जलवायु सूचकांकों के आधार पर राज्यों को रैंक प्रदान करता है।

चुनौतियां

- **बजटीय बाधाएं:** वित्तीय नियंत्रण या निधि आवंटन शक्तियों का अभाव।
- **अंतर-राज्यीय असमानताएं:** क्षेत्रीय विकास अंतराल को पाटने में सीमित सफलता।
- **वैधानिक स्थिति का अभाव:** कानूनी समर्थन के बिना कार्य करना।
- **मंत्रालयों के साथ ओवरलैप:** नीति कार्यान्वयन में दोहराव और घर्षण का कारण बनता है।

8.2. लोकपाल और लोकायुक्त (Lokpal And Lokayukta)

जनवरी, 2025 में लोकपाल संस्था ने अपना **पहला स्थापना दिवस** मनाया। भारत का लोकपाल एक **भ्रष्टाचार विरोधी वैधानिक निकाय** है। इसे **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** के तहत स्थापित किया गया है।

लोकपाल/ लोकायुक्त कार्यालय से संबंधित मुद्दे

- शिकायतों की अस्वीकृति
- नियुक्तियों में देरी
- शिकायतकर्ता संरक्षण
- अपील के लिए अपर्याप्त प्रावधान।
- प्रधानमंत्री को इसमें शामिल करने से नेतृत्व के अधिकार को कमजोर करने का जोखिम है।
- **अन्य मुद्दे:** संवैधानिक दर्जा न होना, लंबी देरी, तथा शिकायत दर्ज करने के लिए 7 वर्ष की सीमा।

आगे की राह

- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशें:** प्रधान मंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- **संवैधानिक दर्जा:** संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना।
- **विकेंद्रीकरण:** अनेक जवाबदेह संस्थाओं में शक्तियों को विकेंद्रीकृत करना।
- **11वां अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन (2012): लोकायुक्त को नोडल शिकायत-निवारण एजेंसी बनाया जाए**, उसे राज्य स्तरीय जांचों पर नियंत्रण दिया जाए, और नौकरशाहों को भी इसकी जांच के दायरे में लाया जाए आदि।

8.3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau Of Investigation: CBI)

"पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (2024)" मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राज्य सरकार द्वारा CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के बाद भी केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुकदमे को बरकरार रखा।

CBI जांच के लिए राज्य की सहमति

- **सामान्य सहमति:** DSPE अधिनियम की धारा 6 राज्य सरकार को CBI अधिकारी को सहमति देने या सहमति न देने का अधिकार प्रदान करती है। इसके बिना, सीबीआई को मामले के अनुसार सहमति लेनी होगी।
- **सहमति वापस लेने वाले राज्य:** पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना जैसे राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली है।
- **अपवाद:** सुप्रीम कोर्ट/ हाई कोर्ट्स राज्य की सहमति के बिना CBI जांच का आदेश दे सकते हैं; यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है, तो उस मामले में राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।

CBI से संबंधित न्यायिक निर्णय

- **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2019): CBI** निदेशक की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित की जानी चाहिए: **पीएम, विपक्ष के नेता और CJI/ मनोनीत न्यायाधीश।**
- **CPIO CBI बनाम संजीव चतुर्वेदी (2024):** दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि **सीबीआई को आरटीआई से पूरी तरह छूट नहीं है और उसे भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघनों** पर जानकारी का खुलासा करना होगा।

CBI से जुड़ी चिंताएं

- **रिक्तियां:** 724 पद रिक्त (कुल क्षमता का 16%)।
- **पारदर्शिता का अभाव:** CBI में दर्ज मामलों के विवरण, उनकी जांच में हुई प्रगति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं।
- **सहमति वापस लेना: 9** राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली, जिससे अधिकार क्षेत्र सीमित हो गया।
- **विश्वसनीयता के मुद्दे:** बोफोर्स और हवाला जैसे असफल हाई-प्रोफाइल मामलों पर आलोचना।
- **शासनिक बाधाएं:** वरिष्ठ नौकरशाहों की जांच के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
- **वित्त संबंधी मुद्दे:** जनशक्ति/प्रशिक्षण में अपर्याप्त निवेश; निधियों का कम उपयोग।
- **स्वायत्तता का अभाव:** CBI **कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम** करती है , जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप का खतरा रहता है।

आगे की राह

- **रिक्तियों को भरना:** CBI के निदेशक को **त्रैमासिक आधार पर रिक्तियों को भरने में हुई प्रगति की निगरानी** करनी चाहिए।
- **केस प्रबंधन प्रणाली:** केस प्रगति पर केंद्रीकृत सार्वजनिक-पहुंच डेटाबेस।
- **एक नया कानून बनाना:** CBI के दर्जे, कार्य और शक्तियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- **भर्ती सुधार:** प्रतिनियुक्ति को 10% तक सीमित करना; प्रत्यक्ष और LDCE भर्ती को बढ़ावा देना।
- **लेटरल एंट्री:** साइबर अपराध, फोरेंसिक आदि के विशेषज्ञों के लिए।
- **पारदर्शिता:** CBI को अपनी वेबसाइट पर **केस संबंधी आंकड़ों और वार्षिक रिपोर्ट्स** को प्रकाशित करना चाहिए।
- **सहमति खंड सुधार:** राष्ट्रीय सुरक्षा/अखंडता से संबंधित मामलों के लिए सामान्य सहमति के प्रावधान को लागू नहीं करना चाहिए।

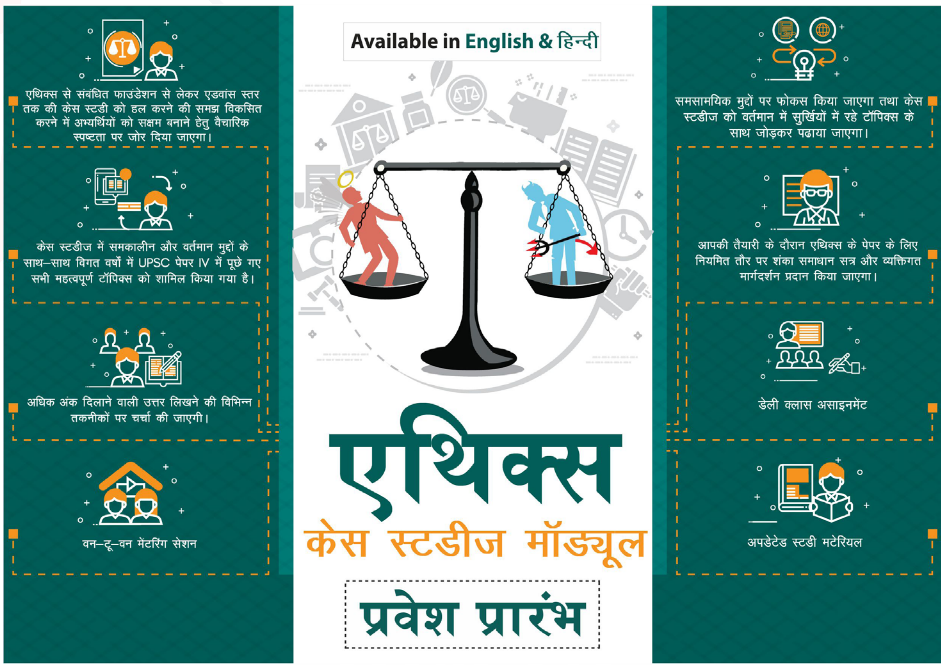

9. महत्वपूर्ण अधिनियम और विधान (IMPORTANT ACTS AND LEGISLATIONS)

9.1. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 {WAQF (Amendment) ACT, 2025}

हाल ही में **राष्ट्रपति ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंजूरी** दी है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा **वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन** किए गए हैं।

वक्फ कानूनों में संशोधन की आवश्यकता क्यों है?

- "एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ" सिद्धांत **अंतहीन स्वामित्व विवाद पैदा करता है**।
- **कोई न्यायिक निगरानी नहीं**: न्यायाधिकरण के निर्णय अंतिम होते हैं; कोई नियमित अदालती अपील नहीं होती।
- **खराब संपत्ति सर्वेक्षण**: सर्वेक्षण आयुक्तों द्वारा गलत कार्य के कारण स्वामित्व संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं।

अधिनियम में प्रमुख परिवर्तन

- **वक्फ का निर्माण:** केवल **संपत्ति का कानूनी स्वामी** ही उस संपत्ति को वक्फ के रूप में दान दे सकता है।
- **वक्फ का सर्वेक्षण:** अब **वक्फ सर्वेक्षण का कार्य जिला कलेक्टर** करेगा न कि सर्वेक्षण आयुक्त।
- **सरकारी संपत्ति: सरकारी भूमि** को वक्फ घोषित **नहीं** किया जा सकता।
- **केंद्रीय वक्फ परिषद:**
  - केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में; इस परिषद में **सांसद, प्रतिष्ठित व्यक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ शामिल** होंगे।
  - सभी सदस्य (मंत्री को छोड़कर) मुस्लिम होने चाहिए; परिषद में **2 महिलाएं और 2 गैर-मुस्लिम** शामिल होने चाहिए।
- **राज्य वक्फ बोर्ड:** इसमें मुस्लिम सांसद/विधायक/बार काउंसिल के सदस्य शामिल होने चाहिए और शिया, सुन्नी, पिछड़े मुस्लिम, बोहरा, अघाखानी समुदायों का प्रतिनिधित्व (न्यूनतम 2 महिलाएं) होना चाहिए।
- वक्फ न्यायाधिकरण:
  - न्यायाधीश (अध्यक्ष), संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, मुस्लिम कानून विशेषज्ञ।
  - **90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट** में अपील की जा सकती है।
  - यदि न्यायाधिकरण कार्य नहीं करता है, तो **पक्ष सीधे हाई कोर्ट जा सकते** हैं।

वक्फ संशोधन का विरोध और चिंताएं:

- **धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन:** गैर-मुस्लिम सदस्य और केंद्रीकरण **अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 का उल्लंघन कर सकते हैं**।
- **सरकारी अतिक्रमण:** जिला कलेक्टरों द्वारा संपत्ति के प्रबंधन में **पक्षपात/विलंब हो सकता है**।
- **'वक्फ बाय यूजर' प्रावधान की समाप्ति: 8.7 लाख वक्फ संपत्तियों में से 50% से अधिक को खतरा**, जिनमें से कई बिना दस्तावेजों के हैं।
- इस्लाम में **वक्फ को आवश्यक धार्मिक प्रथा (ईआरपी) के रूप में मान्यता नहीं दी गई है**।

अनिवार्य धार्मिक प्रथा/ परंपरा (ERP) क्या है?

- **अवधारणा की शुरूआत:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा **श्री शिरूर मठ मामले** (1954) में।
- **परिचय**: ERP एक प्रकार का परीक्षण या शर्त है, जिसे भारतीय न्यायपालिका द्वारा यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या किसी विशेष धार्मिक प्रथा या परंपरा को किसी **धर्म का मूल पहलू माना जा सकता है या नहीं**।

9.2. उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 {Places Of Worship (Special ProvisionS) ACT, 1991}

हाल ही में, कुछ धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण करने के लिए याचिका दायर करने के संदर्भ में **"उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991"** सुर्ख़ियों में था।

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के बारे में

- यह अधिनियम किसी भी उपासना स्थल के **रूपांतरण को प्रतिबंधित** करता है और **15 अगस्त, 1947 को मौजूद** किसी भी उपासना स्थल के **धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने** का प्रावधान करता है।
- **छूट में शामिल हैं:** (1) 1958 अधिनियम के तहत प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक; (2) अयोध्या भूमि विवाद।

अधिनियम के समर्थन में तर्क

- **शांति को बढ़ावा** : सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए 1947 की स्थिति को बनाए रखा गया।
- **पंथनिरपेक्षता को संरक्षित रखता है** : धार्मिक समानता सुनिश्चित करता है; सुप्रीम कोर्ट (2019) द्वारा समर्थित।
- **धार्मिक स्थलों के राजनीतिकरण को सीमित करता है** : धार्मिक विवादों को राजनीतिक एजेंडे के लिए उपयोग करने से रोकता है।

अधिनियम के विपक्ष में तर्क

- **अधिकारों का उल्लंघन** : अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 को प्रतिबंधित करता है।
- **न्यायिक समीक्षा को रोकता है** : न्यायालयों को उपासना स्थलों के धार्मिक स्वरूप पर विवादों की सुनवाई करने से रोकता है
- **बिना किसी तर्क के कट ऑफ वर्ष निर्धारित करना:** 1947 से पूर्व के अन्यायों की अनदेखी; सामुदायिक निवारण से इनकार।
- **असंगत छूट** : अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन को 1947 की कट ऑफ तारीख से छूट दी गई है, जबकि ज्ञानवापी जैसे अन्य विवादित स्थलों को ऐसी छूट नहीं दी गई है।

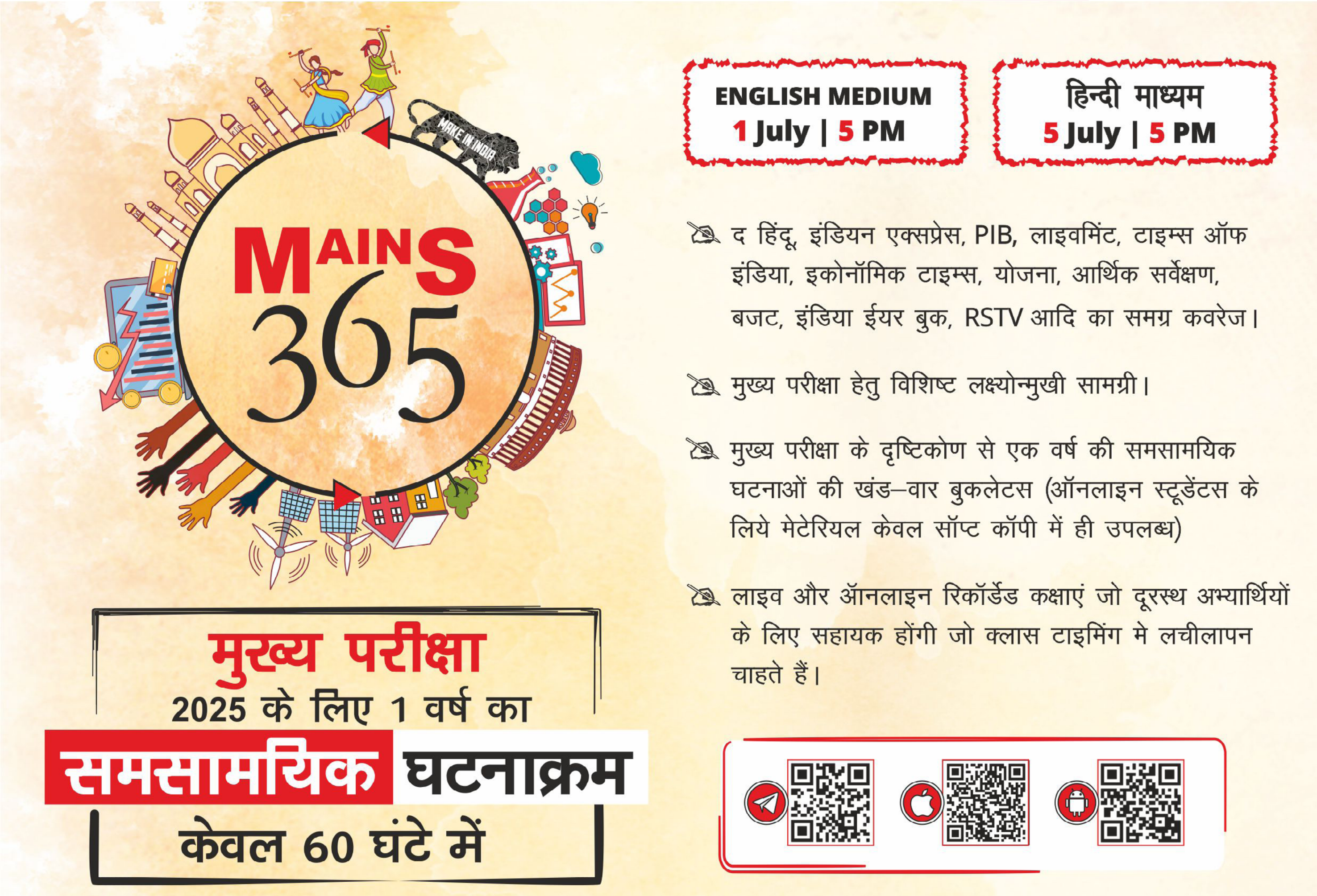

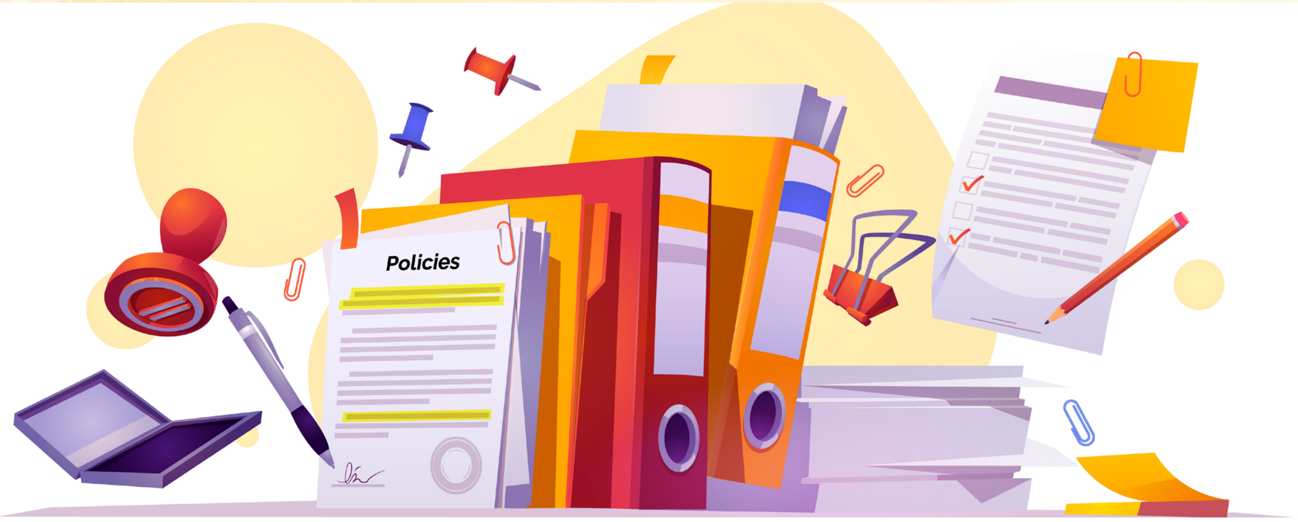

10. विविध (MISCELLANEOUS)

10.1. सहकारिता (Cooperatives)

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री तथा केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 (IYC 2025)** का उद्घाटन किया।

सहकारिता के सात सिद्धांत

- स्वैच्छिक और खुली सदस्यता
- लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण
- सदस्यों की आर्थिक भागीदारी
- स्वायत्तता और स्वतंत्रता
- शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना
- सहकारी समितियों के बीच सहयोग
- समुदाय के प्रति चिंता

भारत में सहकारिता

- **उत्पत्ति** : कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, 1904
- **वैश्विक हिस्सेदारी** : भारत में विश्व की 27% सहकारी समितियां हैं
- **शीर्ष 3 सहकारी क्षेत्रक: आवास; डेयरी; और प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS)।**
- **अग्रणी राज्य** : महाराष्ट्र (25%), गुजरात, तेलंगाना, एमपी, कर्नाटक
- **संवैधानिक स्थिति** : 97वां संशोधन (2011) – अनुच्छेद 19(1)(सी), अनुच्छेद 43बी, भाग IXबी
- **शासन** : बहु-राज्य - संघ सूची प्रविष्टि 44, अधिनियम 2002; राज्य - राज्य सूची प्रविष्टि 32

सामाजिक-आर्थिक विकास में सहकारी समितियों का महत्व

- शहरी नीति भागीदारी के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य
- समानता और नेतृत्व के माध्यम से समाज का सशक्तिकरण
- किसानों के लिए वित्तीय समावेशन
- धन संबंधी असमानता को कम करना और स्व-रोजगार को बढ़ावा देना
- एकता और विश्वास जैसे नैतिक मूल्य

भारत में सहकारी समितियों के सामने चुनौतियां

- **शासन** : सरकारी हस्तक्षेप स्वायत्तता को सीमित करता है
- **राजनीतिकरण** : प्रबंधन में अभिजात वर्ग का प्रभुत्व
- **जागरूकता की कमी**: सदस्य एवं निदेशक सहकारी उद्देश्यों और नियमों से अनजान रहते हैं।
- **प्रतिद्वंद्विता** : आंतरिक विवाद भागीदारी को सीमित करते हैं
- **क्षेत्रीय असंतुलन** : पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में सहकारी समितियां अविकसित हैं
- **छोटा पैमाना** : कम पहुंच और संकीर्ण दृष्टि
- **खराब ऑडिट और कोई समन्वय नहीं**
- **पैमाना और कौशल** : वित्तीय सीमाएँ, अप्रशिक्षित कर्मचारी
- **खराब प्रबंधन** : कोई करियर विकास नहीं
- **डिजिटल विभाजन** : केवल 45% सदस्य डिजिटल रूप से साक्षर हैं

सहकारी निकायों से संबंधित केंद्र-राज्य विवाद

- **97वां संशोधन (2011):** SC ने केवल बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए इसे बरकरार रखा
- राज्यों ने **बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002** और 2023 में केंद्र की भूमिका बढ़ाने वाले संशोधनों का विरोध किया
- सहकारिता मंत्रालय के गठन को सत्ता परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है
- केंद्रीय योजनाएं राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं से टकराती हैं

भारत में सहकारिता को मजबूत करने की प्रमुख पहलें

- **संस्थागत समर्थन** : NCDC (1963), सहकारिता मंत्रालय (2021), राष्ट्रीय सहकारी नीति
- **कानूनी सुधार** : बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023; PACS के लिए मॉडल उप-नियम
- **आर्थिक पहल** : अनाज भंडारण योजना, मार्गदर्शिका योजना (2 लाख नवीन PACS), श्वेत क्रांति 2.0 (दूध लक्ष्य)
- **प्रौद्योगिकी एवं वित्त** : NCD, NUCFDC, बैंक SOPs

भारत में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना

- **संरचनात्मक सुधार: कमजोर समितियों का विलय।**
- **परिचालन दक्षता में सुधार:** पेशेवर प्रबंधक, ऋणों को सरल बनाना, समन्वय, आदि।
- **क्षमता निर्माण:** कौशल विकास और डिजिटलीकरण।
- **जन जागरूकता और शिक्षा।**
- **कानूनी ढांचे को मजबूत करना: नरसिम्हम समिति** की सिफारिशों को लागू करना चाहिए।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** RTI, CBI/CVC जांच, मजबूत ऑडिट।

10.2. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 {Right To Information (RTI) ACT, 2005}

वर्ष 2025 में **"सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005"** के लागू होने के **20 साल** पूरे हो गए।

RTI अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **संस्थागत ढांचा:** CIC, SICs, केंद्रीय/राज्य PIOs
- सूचना मांगने का अधिकार; अभिलेखों को बनाए रखने और प्रकट करने का प्राधिकारियों का कर्तव्य
- धारा 8 के तहत सूचना के प्रकाशन या खुलासा या प्रकटीकरण से छूट
- दंड, अपील, समय सीमा (30 दिन)
- **RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019:** केंद्र सरकार सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें तय करेगा
- **DPDP अधिनियम, 2023** : सभी व्यक्तिगत जानकारी को आरटीआई के दायरे से मुक्त कर दिया गया

RTI का महत्व

- नागरिकों को सशक्त बनाता है
- पारदर्शिता को बढ़ावा देता है
- जवाबदेही सुनिश्चित करता है
- भ्रष्टाचार को उजागर करता है
- कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करता है
- लोकतंत्र को मजबूत बनाता है

RTI पर न्यायिक फैसले

- **PUCL बनाम भारत संघ (2004):** RTI एक मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 19(1)(a))
- **सुभाष चंद्र अग्रवाल (2010):** CJI का कार्यालय RTI के दायरे में
- **नमित शर्मा (2013):** ICs अर्ध-न्यायिक निकाय हैं

RTI अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **कार्यात्मक** : निष्क्रिय ICs, लंबी देरी, बैकलॉग
- ICs संरचना में लैंगिक असमानता
- **संरचनात्मक** : पी.एम. केयर्स फंड को बाहर रखा गया; 2019 संशोधन ने स्वायत्तता को कमजोर कर दिया
- **प्रक्रियात्मक** : नौकरशाही की ओर से विरोध, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दलों द्वारा गैर-अनुपालन
- **जागरूकता** : आरटीआई पर शिक्षा का अभाव
- **अन्य** : कार्यकर्ता संरक्षण का अभाव, PIOs का अपर्याप्त प्रशिक्षण, ऑफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के साथ विरोधाभास; आदि।

आगे की राह

- **2nd ARC:** राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन, जन जागरूकता अभियान चलाना
- **न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण समिति (2018):** गंभीर क्षति के मामलों तक छूट सीमित करना
- धारा 4 के तहत स्वप्रेरणा से खुलासे को बढ़ावा देना
- पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती करना
- विशेषज्ञों के नेतृत्व में डिजिटल रिकॉर्ड रखना
- RTI अनुपालन में अधिकारियों का प्रशिक्षण

10.3. अल्पसंख्यक संस्थान (Minority Institution)

सुप्रीम कोर्ट ने **"एएमयू बनाम नरेश अग्रवाल एवं अन्य"** मामले में अपने उस फैसले को पलट दिया, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार किया गया था।

इस निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- यह साबित करने के लिए कि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, इसके लिए उसके **प्रशासन पर अल्पसंख्यकों का नियंत्रण होना अनिवार्य नहीं है।**
- अदालतों को **संस्थान की उत्पत्ति का पता लगाना चाहिए और संस्थान की स्थापना करने वाले की मंशा की पहचान** करनी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संस्था की स्थापना किसने की है।
- **किसी संस्थान का अल्पसंख्यक का दर्जा केवल इसलिए रद्द नहीं** किया जा सकता, कि इसकी स्थापना किसी कानून द्वारा या विश्वविद्यालय के रूप में की गई है।
- **जो समुदाय संविधान के लागू होने से पहले अल्पसंख्यक नहीं थे,** वे भी स्वतंत्रता से पहले स्थापित संस्थाओं के लिए **अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण के हकदार हैं।**
- गवर्नेंस मॉडल नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक द्वारा स्थापना ही मुख्य मानदंड है।

अल्पसंख्यक शैक्षिक अधिकारों पर प्रावधान

- **अनुच्छेद 30(1):** धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान **स्थापित एवं संचालित कर सकते हैं।**
- **NCMEI अधिनियम:** अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की **रक्षा और उन्हें लागू करने के लिए बनाया गया।**

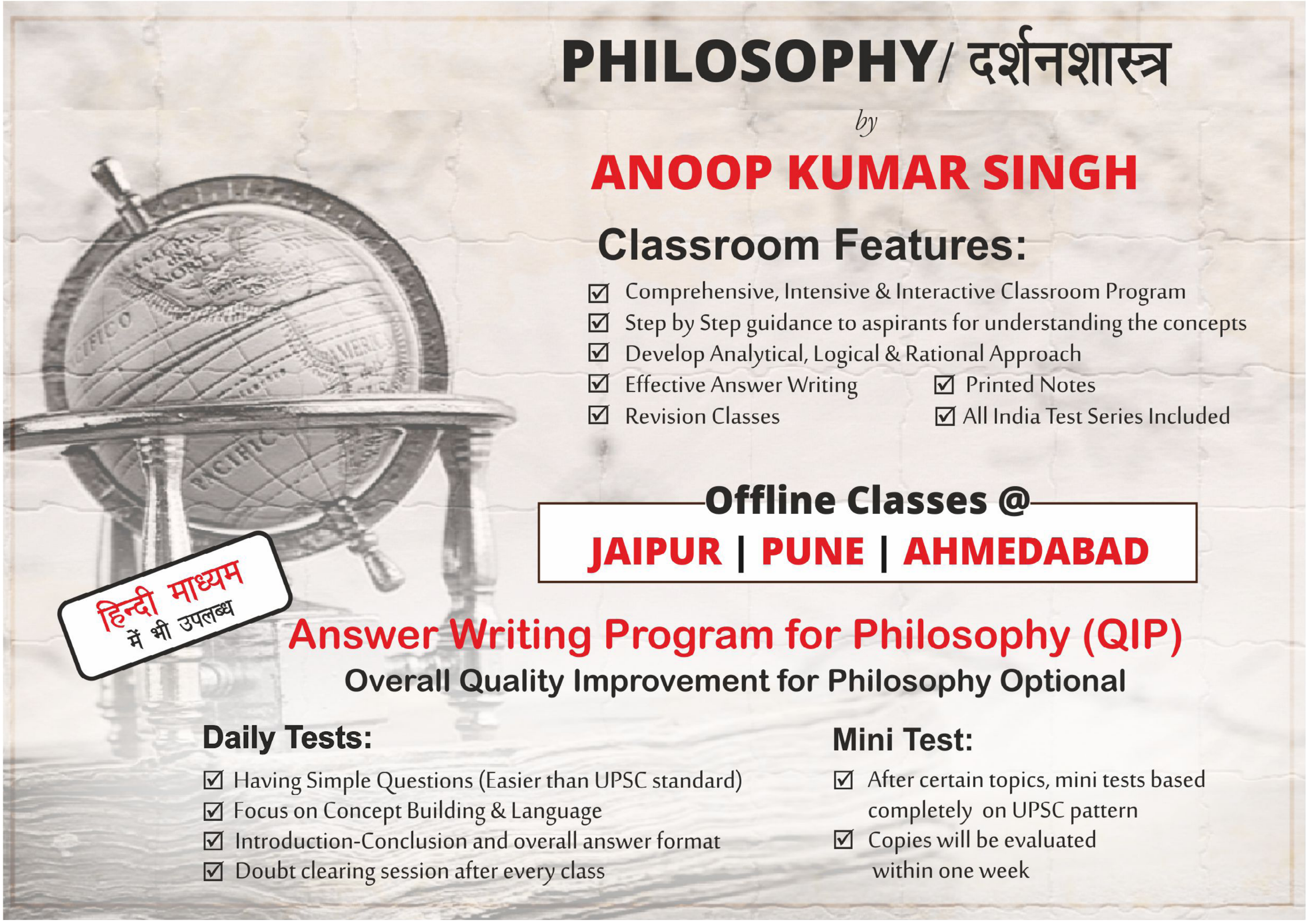

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

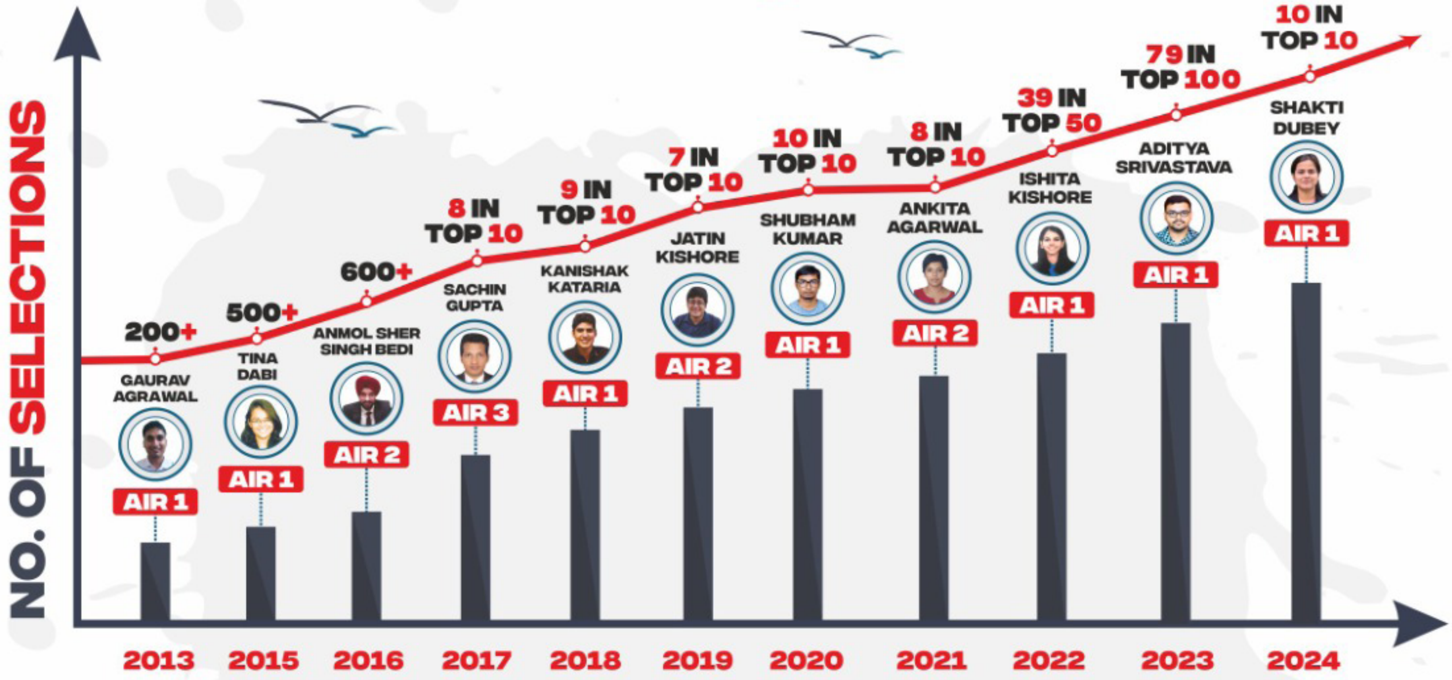

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 8 JULY, 11 AM | 15 JULY, 8 AM | 18 JULY, 5 PM
22 JULY, 11 AM | 25 JULY, 2 PM | 30 JULY, 8 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 10 JULY, 8 AM | 29 JULY, 6 PM

हिन्दी माध्यम 7 अगस्त, 2 PM

AHMEDABAD: 12 JULY | BENGALURU: 22 JULY | BHOPAL: 27 JUNE | CHANDIGARH: 18 JUNE

HYDERABAD: 30 JULY | JAIPUR: 5 AUG | JODHPUR: 2 JULY | LUCKNOW: 22 JULY | PUNE: 14 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 7 अगस्त, 2 PM | JAIPUR : 20 जुलाई | JODHPUR : 2 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest Congratulations to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024** from various programs of **Vision IAS**

1 AIR **Shakti Dubey**

2 AIR **Harshita Goyal**
GS Foundation Classroom Student

3 AIR **Dongre Archit Parag**
GS Foundation Classroom Student

4 AIR **Shah Margi Chirag**

5 AIR **Aakash Garg**

6 AIR **Komal Punia**

7 AIR **Aayushi Bansal**

8 AIR **Raj Krishna Jha**

9 AIR **Aditya Vikram Agarwal**

10 AIR **Mayank Tripathi**

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

137 AIR **Ankita Kanti**

182 AIR **Ravi Raaz**

438 AIR **Mamata**

448 AIR **Sukh Ram**

509 AIR **Amit Kumar Yadav**

HEAD OFFICE
DELHI
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi - 110005

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visionias hindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची